

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण**


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024 को श्री अरुण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एफको, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम उपस्थित थे :-

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री मुजीबुर्रहमान खान, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।


बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचि चत श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ पोर्टल पर आवेदित परिवेश	प्राधिकरण का निर्णय
1.	P2/311/2024	1(a)	छतरपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
2.	P2/609/2024	1(a)	खण्डवा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
3.	9551/2022	1(a)	शिवपुरी	पत्थर एवं एम. सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति वैधता विस्तार	पूर्व में निर्णित
4.	P2/93/2024	1(a)	राजगढ़	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
5.	P2/892/2024	1(a)	शाजापुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
6.	9162/2022	2(b)	बालाघाट	मैंगनीज ओर वेनिफिकेशन प्लान्ट	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्वीकृत
7.	4258/2015	5(a)	धार	कैमिकल फर्टीलाइजर	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्पष्टीकरण
8.	9417/2022	1(a)	ग्वालियर	पत्थर एवं एम. सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
9.	248/2008	3(b)	धार	ग्राइडिंग यूनिट	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्वीकृत
10.	9702/2023	1(c)	छिन्दवाड़ा	सिचाई परियोजना	For ToR Ammendment	स्वीकृत
11.	P2/907/2024	7(h)	उज्जैन	CETP	For ToR	स्वीकृत
12.	P2/908/2024	5(f)	उज्जैन	API	For ToR	स्वीकृत
13.	P2/499/2024	5(a)	मंदसौर	फर्टीलाइजर	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
14.	10628/2023	5(f)	धार	बेसिक ऑर्गेनिंग कैमिकल	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
15.	P2/89/2024	8(a)	इन्दौर	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष


**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण**


16.	10583/2023	3(a)	धार	TMT Bar	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त
17.	P2/870/2024	1(c)	मण्डला	सिचाई परियोजना	For ToR	स्वीकृत
18.	9862/2023	2(b)	जबलपुर	वेनफिकेशन प्लान्ट	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
19.	P2/872/2024	8(a)	सीधी	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
20.	P2/871/2024	8(a)	इन्दौर	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
21.	P2/875/2024	8(a)	भोपाल	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
22.	P2/883/2024	8(a)	भोपाल	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
23.	P2/11/2024	8(a)	शहडोल	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
24.	9703/2023	8(b)	भोपाल	टाउनशिप एरिया विकास	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
25.	P2/308/2024	1(c)	सीहोर	सिचाई परियोजना	For ToR	स्वीकृत
26.	9381/2022	3(a)	मण्डला	TMT Bar	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
27.	P2/905/2024	8(a)	भोपाल	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
28.	P2/904/2024	8(b)	जबलपुर	टाउनशिप एरिया विकास	For ToR	स्वीकृत
29.	P2/903/2024	5(f)	झाबुआ	ऑर्गेनिक कैमिकल	For ToR	स्वीकृत
30.	P2/902/2024	5(f)	धार	ऑर्गेनिक कैमिकल	For ToR	स्वीकृत
31.	10719/2023	1(a)	बालाघाट	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा						
32.	6727/2020	5(j)	नरसिंहपुर	शुगर मिल	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
33.	P2/351/2024	1(a)	छिन्दवाड़ा	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
34.	P2/16/2024	1(a)	बैतूल	ग्रेफाईट खदान	स्पष्टीकरण अपेक्षित	निरस्त

1. प्रकरण क्र. P2/311/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जीत एशिया प्रा.लि., अधिकृत प्रतिनिधि श्री सोहनलाल सैनी, निवासी- एस.सी.ओ. सैकण्ड हुडा मार्केट, हीरो होण्डा चौक के पास, सेक्टर 10ए, गुरुग्राम-122001 द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,00,000. घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.60 हेक्टेयर, खसरा 406/1, ग्राम - बिजावली, तहसील - बक्सवाहा, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 758 वी बैठक दिनांक 27.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान से 40 मीटर की दूरी पर एक स्टॉप डेम स्ट्रक्चर एवं खदान के आस-पास कई जल भराव स्ट्रक्चर परिलक्षित हैं साथ ही खदान से लगी हुई एक कच्ची सड़क परिलक्षित हो रही है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है। अतः स्टॉप डेम स्ट्रक्चर से 100 मीटर एवं कच्ची सड़क से 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन छोड़ने पर खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

2. प्रकरण क्र. P2/609/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स धायल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, पार्टनर श्री नैनाराम विश्‍नोई, निवासी-तेजाराम, जयरूप नगर, पीपड़ सिटी वेनाण, जोधपुर (राजस्थान) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 59,347 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 329, ग्राम - सिवना, तहसील - खण्डवा, जिला खण्डवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 758 वी बैठक दिनांक 27.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 758वी बैठक दिनांक 27.05.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) तथा SEAC की 758वी बैठक दिनांक 27.05.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) खण्डवा का पत्र क्रं 1370 दिनांक 01.02.2024 के माध्यम से 02 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 31.01.2026 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) खण्डवा जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क न्यूनतम 100 मीटर तक एवं कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।


परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


3. प्रकरण क्र 9551/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अनिल कन्स्ट्रक्शन कंपनी, पार्टनर, श्री पवन कुमार जैन, निवासी जैन सदन, महल रोड़, कृष्णापुरम कॉलोनी, जिला शिवपुरी (म.प्र.) द्वारा पत्थर व एम सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 53900 घनमीटर प्रतिवर्ष (पत्थर 48400 व एम सेण्ड 5500 घनमीटर प्रतिवर्ष) रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 1483, ग्राम परिच्छा अहिर, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति वैधता विस्तार हेतु आवेदन बावत्।


उक्त प्रकरण प्राधिकरण की 863-A बैठक दिनांक 10.06.2024 के सं.क्र. 39 पर दर्शित है जिसमें पर्यावरण स्वीकृति की वैधता विस्तार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. प्रकरण क्र. P2/93/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सारण कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, संचालक श्री कृष्णपाल सारण, निवासी- सुभाष नगर, पाल रोड़, जोधपुर (राजस्थान) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 85,048 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.195 हेक्टेयर, खसरा 80/1, 80/2, 81/1, 81/2, 87, 85/1, 86/2, ग्राम - कडियाखीची, तहसील - खुजनेर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 732वीं बैठक दिनांक 20.03.2024 एवं 761वीं बैठक दिनांक 30.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 732वी बैठक दिनांक 20.03.2024 एवं 761वी बैठक दिनांक 30.05.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) तथा SEAC की 732वी बैठक दिनांक 20.03.2024 एवं 761वी बैठक दिनांक 30.05.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) राजगढ़ का पत्र क्रं 1028 दिनांक 24.11.2023 के माध्यम से 03 वर्ष (अर्थात दिनांक 24.11.2023 से 23.11.2026 तक) की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 23.11.2026 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) राजगढ़ जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क न्यूनतम 200 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 20 वृक्षों में से काटे जाने वाले 02 पेड़ों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत रोपित 20 पौधों एवं खदान क्षेत्र में शेष बचे वृक्षों संरक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधों के संरक्षण हेतु ट्री-गार्ड लगाये जायें।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)-
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण

5. प्रकरण क्र. P2/892/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अपेक्स स्ट्रक्चर प्रा.लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जितेन्द्र कुमार, निवासी-यूनिट-7-8, द्वितीय तल, 201, सतगुरु पार्सिम बिचौली मर्दाना, जिला इन्दौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 35,000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ओबर वर्डन 10324 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.50 हेक्टेयर, खसरा 485/1, ग्राम - मंगरोला, तहसील - शुजालपुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 761वीं बैठक दिनांक 30.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 761वीं बैठक दिनांक 30.05.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) तथा SEAC की 761वीं बैठक दिनांक 30.05.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) शाजापुर का पत्र क्रं 525 दिनांक 12.03.2024 एवं संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा अनुमोदित खनन योजना दिनांक 26.04.2024 अनुसार उक्त लीज 02 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 11.03.2026 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) शाजापुर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 18 वृक्षों में से काटे जाने वाले 10 पेड़ों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत रोपित 100 पौधों एवं खदान क्षेत्र में शेष बचे वृक्षों संरक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधों के संरक्षण हेतु ट्री-गार्ड लगाये जायें।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण


6. **Case No. 9162/2022** Shri UdyalUmamaheswara Reddy, Director, M/s MAGNES ORE PRIVATE LIMITED, village Selwa, Tehsil - Katangi, District - Balaghat, (M.P.) - 477114. Manganese Ore Beneficiation Plant (Capacity-0.5 MTPA) located at village Selwa, Tehsil - Katangi, District - Balaghat, (M.P.). Cat.: 2(b) Mineral beneficiation. Proposal No. SIA/MP/IND1/459305/2024.EC Transfer-Reg

1. उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदन क्रमांक SIA/MP/IND1/459305/2024-पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बड़ेबाबा माइनिंग एंड कंसल्टेंसी एलएलपी, 1, 1 मेन रोड के सामने, गोबरवाही, जिला भंडार (महाराष्ट्र) 441907. को ग्राम सेलवा, तहसी-कटंगी, जिला-बालाघाट, (म.प्र.) में स्थित मैंगनीज ओर बेनेफिसिएशन प्लांट (क्षमता-0.5 एमटीपीए) के प्रस्तावित उत्पादन के लिए जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मैंगनीज ओर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम सेलवा, तहसी-कटंगी, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)के नाम पर करने हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदन किया गया है।
2. उक्त प्रकरण में ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति MPSEIAAद्वारा पत्र क्र. EC22B007MP170395 दिनांक 24.09.2022 के माध्यम से ग्राम सेलवा, तहसी-कटंगी, जिला-बालाघाट, (म.प्र.) में स्थित मैंगनीज ओर बेनेफिसिएशन प्लांट (क्षमता-0.5 एमटीपीए) के प्रस्तावित उत्पादन हेतु मेसर्स बड़ेबाबा माइनिंग एंड कंसल्टेंसी एलएलपी, 1,1 मेन रोड के सामने, गोबरवाही, जिला भंडार (महाराष्ट्र)441907. को ग्राम सेलवा, तहसी-कटंगी, जिला-बालाघाट,(म.प्र.)को जारी की गई थी।
3. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

- मेसर्स बड़ेबाबा माइनिंग एंड कंसल्टेंसी एलएलपी, 1, 1 मेन रोड के सामने, गोबरवाही, जिला भंडार (महाराष्ट्र) 441907 द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मैंगनीज ओर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम सेलवा, तहसी-कटंगी, जिला-बालाघाट, (म.प्र.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटारिज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।
- मैंगनीज ओर प्राइवेट लिमिटेड खसरा नं.-418/4,600/01/606/01, ग्राम-सेलवा, तहसील-कटंगी, बालाघाट, म.प्र. द्वारा नोटारिज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त परियोजना में आज दिनांक तक कोई भी वाद-विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- मेसर्स बड़ेबाबा माइनिंग एंड कंसल्टेंसी एलएलपी से मेसर्स मैंगनीज ओर प्राइवेट लिमिटेड में नाम परिवर्तन से संबंधित रजिस्ट्रार फर्म और कंपनी के दस्तावेज।
- मेसर्स मैंगनीज ओर प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख की प्रति।
- मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मेसर्स बड़ेबाबा माइनिंग एंड कंसल्टेंसी एलएलपी को जारीवैध वायु एवं जल सहमति की प्रति (31/05/2024 तक)
- एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. EC22B007MP170395 दिनांक 24.09.2022 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण

4. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 755 वीं दिनांक 21.05.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु अनुशंसित किया गया, उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 01 से 03 तक अंकित है।


परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 755 वीं दिनांक 21.05.2024 के अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श एवं परीक्षण उपरांत सर्व सम्मति से एसईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC22B007MP170395 दिनांक 24.09.2022 के माध्यम से पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बड़ेबाबा माइनिंग एंड कंसल्टेंसी एलएलपी, 1, 1 मेन रोड के सामने, गोबरवाही, जिला भंडार (महाराष्ट्र) 441907 को ग्राम सेलवा, तहसील-कटंगी, जिला-बालाघाट, (म.प्र.) में स्थित मैंगनीज ओर बेनेफिसिएशन प्लांट (क्षमता-0.5 एमटीपीए) के प्रस्तावित उत्पादन के लिए जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मैंगनीज ओर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम सेलवा, तहसील-कटंगी, जिला-बालाघाट, (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्त पर जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

- i. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 24.09.2022 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी एवं पर्यावरण स्वीकृति की वैधता ईआईए अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अनुसार मान्य रहेगी।
- ii. SEIAA द्वारा जारी की जाने वाली पर्यावरण स्वीकृति/पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
- iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 24.09.2022 में निहित शर्तों अनुसार वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. की गतिविधियों का परिपालन किया जाना सुनिश्चित करें।
- iv. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

7. **Case No. 4258/2015** Shri Subhash Garg, Director, M/s SAALASAR PHOS CHEM PRIVATE LIMITED, B-01, Aditya Vihar Colony, Mhow - Neemuch Road, Mandsaur, Distt. - Mandsaur (M.P.) - 458001. Prior Environment Clearance for Transfer of Environment Clearance from M/s Indra Industries Limited to M/s Saalasar Phos Chem Pvt Ltd for Chemical Fertilizers SSP/GSSP Fertilizer at Khasra no 2132/8, 2131/1, 2132/1/2/1, 2132/5, 2132/1/13, Village -Sandla, Tehsil Badnawar, District Dhar, (M. P.). Total Land Area - 2.3585 ha., Transfer of EC. SI/MP/IND3/463489/2024.


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण


1. उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदन क्रमांक SIA/MP/IND3/463489/2024.-पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स इंद्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 2132/1/2/1, 2132/5, 2132/1/13, ग्राम-संदला, तहसील बदनावर, जिला धार, (म.प्र.) को खसरा नंबर 2132/8, 2131/1 पर ग्राम संदला, तहसील बदनावर, जिला धार, (म.प्र.) में स्थित रासायनिक उर्वरक एसएसपी/जीएसएसपी उर्वरक के प्रस्तावित उत्पादन के लिए जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सालासर फॉस केम प्राइवेट लिमिटेड, बी-01, आदित्य विहार कॉलोनी, महु - नीमच रोड, मंदसौर, जिला। - मंदसौर (म.प्र.) - 458001के नाम पर करने हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदन किया गया है।
2. उक्त प्रकरण में ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति MPSEIAAद्वारा पत्र क्र.पत्र क्रमांक 5476/ SEIAA/2017 दिनांक 06/03/2017-के माध्यम से ग्राम संदला, तहसील बदनावर, जिला धार,(म.प्र.) में स्थित रासायनिक उर्वरक एसएसपी/जीएसएसपी उर्वरक के प्रस्तावित उत्पादन हेतुमेसर्स इंद्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-संदला, तहसील बदनावर, जिला धार, (म.प्र.)को ग्राम सेलवा, तहसी-कटंगी, जिला-बालाघाट,(म.प्र.) को जारी की गई थी।
3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 755 वीं दिनांक 21.05.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु अनुशंसित किया गया,उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 04 से 07 तक अंकित है। उक्तबैठक की कार्यवाही विवरणमें प्रकरण क्रमांक 4258/2015 के स्थान पर त्रुटिवश 5476/2017अंकित हो गया है, जिसे प्राधिकरण द्वारा मान्य करते हुए संशोधित किया जाता है।
4. मेसर्स इंद्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा ईमेल के माध्यम से पत्र दिनांक 18/03/2024 से शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि नवीन परियोजना प्रस्तावक ने ऑन लाइन परिवेश पोर्टल2.0 पर प्रस्ताव संख्या SIA/MP/IND3/463489/2024के माध्यम से पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए आवेदन किया है। उक्त आवेदन के सम्बन्ध में पूर्व परियोजना प्रस्तावक द्वारा सूचित किया गया था कि मेसर्स सालासर फॉस केम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री सुभाष गर्ग ने 1.0 करोड़ से अधिक जीएसटी राशि का न तो भुगतान किया है और न ही भुगतान किया है, जिससे सरकार को राजस्व और राजकोष का भारी नुकसान हुआ है। उनके द्वारा गलत एनओसी संलग्न की गई है।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया की दोनों (पूर्व परियोजना प्रस्तावक एवं नवीन परियोजना प्रस्तावक) स्पष्टीकरण हेतु प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हों।

8. प्रकरण क्र. 9417/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र सिंह परमार आत्मज श्री लक्ष्मीनारायण परमार निवासी- गीतांजली भवन के पास, नया आमपुरा, जिला मुरैना (म.प्र..) द्वारा पत्थर एवं एम. सैण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 1,47,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, एवं एम. सैण्ड 49000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 3.632 हेक्टेयर, खसरा 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2201/2/1, 2201/1, 2202, ग्राम- बिल्हेटी, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र..)


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 755 वी बैठक दिनांक 21.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-


प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर फार्म-4 में अपलोड दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण Revalidation of Prior Environment Clearance in lieu of Amalgamation का प्रतीत होता है जबकि SEAC द्वारा प्रकरण में उक्त के संबंध में कोई उल्लेख न करते हुए सीधे नवीन पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है जिससे स्पष्ट नहीं होता है कि प्रकरण Revalidation of Prior Environment Clearance in lieu of Amalgamation का है या नवीन प्रकरण है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

9. **Case No. 248/2008.** Transfer of Environment clearance from M/s Satguru Cement Pvt. Ltd. to M/s PIONEER INDUSTRIES for industrial unit Khasra No. - 7/2, 5/1, 5/2 and 6, Village - Ghursal, Teshil - Jeerabad, Gandhwani, Dist. - Dhar (M.P.) 454446 Shri Rajesh Bansal, Partner, M/s PIONEER INDUSTRIES, 601-A, AIREN HEIGHTS, PU-3, SCHEME NO. 54, A. B. ROAD, INDORE (M.P.) - 452010, Clinker grinding unit (Capacity. Total Land Area 3.762 Ha., Cat.: 3(b) Cement plants. [IND1/466827/2024] (EC Transfer)- 0.095 MTPA)


उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदन क्रमांक SIA/MP/IND/466827/2023-पूर्व परियोजना प्रस्तावक सतगुरु सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, 102, गोल्डन टावर 94/47, स्नेह नगर, मेन रोड, इंदौर (म.प्र.), कोग्राम-घुर्सल, जीराबाद, तहसील गंधवानी जिला धार (म.प्र.) में स्थित मिनी सीमेंट प्लांट की उत्पादन क्षमता 30,000 टीपीए से 95,000 टीपीए और क्लिंकर उत्पादन क्षमता 150000 टीपीए के प्रस्तावित विस्तार के लिए जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण नवीन परियोजना प्रस्तावक पायोनीर इंडस्ट्रीज खसरा नंबर 7/2, 5/1, 5/2 और 6, ग्राम घुड़सल, जीराबाद तहसील गंधवानी, जिला - धार, (म.प्र.)- 454446 के नाम पर करने हेतु आवेदन बावत्।

1. उक्त प्रकरण में ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति MPSEIAA द्वारा पत्र क्र. 290/EPCC-SEIAA/2010 दिनांक 09.08.2010 के माध्यम से मिनी सीमेंट प्लांट की उत्पादन क्षमता 30,000 टीपीए से 95,000 टीपीए और क्लिंकर उत्पादन क्षमता 150000 टीपीए के प्रस्तावित विस्तार हेतु सतगुरु सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, 102, गोल्डन टावर 94/47, स्नेह नगर, मेन रोड, इंदौर (म.प्र.), को जारी की गई थी।
2. उक्त के सम्बन्ध में नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन (SIA/MP/IND/466827/2023) परिवेश पोर्टल पर फार्म-7 के माध्यम से मिनी सीमेंट प्लांट की उत्पादन क्षमता 30,000 टीपीए से 95,000 टीपीए और क्लिंकर उत्पादन क्षमता 150000 टीपीए के प्रस्तावित विस्तार हेतु सतगुरु सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।
3. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

- पूर्व परियोजना प्रस्तावक सतगुरु सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, 102, गोल्डन टावर 94/47, स्नेह नगर, मेन रोड, इंदौर (म.प्र.) द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक पायोनीर इंडस्ट्रीज, खसरा नंबर 7/2,


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण


5/1, 5/2 और 6, ग्राम घुड़सल, जीराबाद तहसील गंधवानी, जिला -धार, (म.प्र.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।


- पायोनीर इंडस्ट्रीज, खसरा नंबर 7/2, 5/1, 5/2 और 6, ग्राम घुड़सल, जीराबाद तहसील गंधवानी, जिला -धार, (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त परियोजना में आज दिनांक तक कोई भी वाद-विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- मध्य प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी पूर्व परियोजना प्रस्तावक सतगुरु सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड से सतगुरु इंडस्ट्रीज, को जारी consent to operate की प्रति।
- सतगुरु इंडस्ट्रीज से पायनियर इंडस्ट्रीज में नाम परिवर्तन से संबंधित रजिस्ट्रार फर्म और सोसायटी के दस्तावेज।
- पायनियर इंडस्ट्रीज के पक्ष में निष्पादित लीज डीड की प्रति।
- एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 290/EPCO-SEIAA/2010 दिनांक 09.08.2010 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।
- एसईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन जमा किया गया है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति का अनुपालन किया जाना सूचित किया गया है।

4. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 755 वीं दिनांक 21.05.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु अनुशंसित किया गया, उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 37 से 40 तक अंकित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 755 वीं दिनांक 21.05.2024 के अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श एवं परीक्षण उपरांत सर्व सम्मति से एसईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 290/EPCO-SEIAA/2010 दिनांक 09.08.2010 के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक सतगुरु सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, 102, गोल्डन टावर 94/47, स्नेह नगर, मेन रोड, इंदौर (म.प्र.), कोग्राम-घुर्सल, जीराबाद, तहसील गंधवानी जिला धार (म.प्र.) में स्थित मिनी सीमेंट प्लांट की उत्पादन क्षमता 30,000 टीपीए से 95,000 टीपीए और क्लिकर उत्पादन क्षमता 150000 टीपीए के प्रस्तावित विस्तार के लिए जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण नवीन परियोजना प्रस्तावक पायोनीर इंडस्ट्रीज खसरा नंबर 7/2, 5/1, 5/2 और 6, ग्राम घुड़सल, जीराबाद तहसील गंधवानी, जिला -धार, (म.प्र.)- 454446 के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्त पर जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

का कार्यवाही विवरण

- i. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 09.08.2010 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी एवं पर्यावरण स्वीकृति की वैधता ईआईए अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अनुसार मान्य रहेगी।
- ii. SEIAA द्वारा जारी की जाने वाली पर्यावरण स्वीकृति/पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
- iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 09.08.2010 में निहित शर्तों अनुसार वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. की गतिविधियों का परिपालन किया जाना सुनिश्चित करें।
- iv. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।


10. **Case No. 9702/2023** Prior Environment Clearance for CIC Balancing Reservoir is proposed in the Kanhan Sub basin to irrigate 35000 ha. CCA [under River Valley and Hydroelectric Projects] in an area of 852.48 ha. at Tehsil Pandhurna, District - Chhindwara (M.P.) by Shri Prabodh Kumar Sharma, Executive Engineer, Office of the Executive Engineer, Water Resources Division, In Front of T.B. Senoterium, Chhindwara (MP) - 480001, **Amendment in ToR.SIA/MP/RIV/463080/2024**

1. CIC Balancing Reservoir परियोजना मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की पांडुर्ना तहसील में 35,000 हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र की सिंचाई के लिए छिंदवाड़ा जिले के कन्हान उप बेसिन में निर्माण हेतु प्रस्तावित है। यह छिंदवाड़ा सिंचाई परिसर योजना के तहत प्रस्तावित तीन बांधों में से एक है।
2. SEAC की 631 वीं बैठक दिनांक 18.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा को SEIAA की 780 वीं बैठक दिनांक 11.04.2023 में मान्य करते हुए पत्र क्र 182 दिनांक 21.04.23 के माध्यम से ToR जारी किया गया था।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया कि विस्तृत सर्वेक्षण और जांच करने के बाद, प्रस्तावित परियोजना के लिए कुल भूमि की आवश्यकता वन क्षेत्र आदि में निम्नानुसार परिवर्तन हो गया है:-

S. No.	Particular	As per ToR issued vide SEIAA letter No. 182 dated 21/04/2023	Proposed Amendment	Justification for Change


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण


1.	District	Chhindwara	Pandhurna*	New district formation; not yet updated in database of parivesh portal
2.	Tehsil	Pandhurna	Pandhurna	No change
3.	Cultural Command Area (CCA)	35,000 ha	26,157 ha	Due to Technical specification after finalization of hydrology
4.	Total Land	852.48 ha	948.965 ha	As per field survey data
	Forest Land	74.20 ha	136.724 ha	
	Private Land	737 ha	620.018 ha	
	Govt. Land	-	192.222 ha	
5.	Gross Storage	95 MCM	92.89 MCM	Due to Technical specification after finalization of hydrology
6.	Dam Length	1970 m	2000 m	
7.	River Bed Level	417 m	415 m	
8.	Full Reservoir Level	448 m	446 m	
9.	Discharge	1.55 cumec	8.63 cumec	As per Pipe distribution network & Hydraulic design
10.	Power Requirement	20.37 MW	19.69 MW	
11.	Benefitted Villages	102	79	As per change in capacity (CCA)

4. SEAC की 755 वीं दिनांक 21.05.2024 (विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 61 से 65 पर अंकित है।) एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार करते हुए परियोजना संशोधनों को शामिल करने के साथ टीओआर में अतिरिक्त शर्तों के साथ संशोधन करने की सिफारिश की गई है:-

- PP shall conduct seepage study of the area .
- Ecological damage losses due to increase due to forest area.
- CAT plan shall be prepared and the same shall be approved by the concerned DFO.


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण

- Carbon foot print study and other mitigation measures.

Remaining terms of reference (TOR) shall remain same as recommended in SEAC 631st Meeting dated 18th March 2023.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व विचार विमर्श उपरांत पूर्व में SEIAA द्वारा जारी टी.ओ. आर स्वीकृति (पत्र क्र 182 दिनांक 21.04.23) में SEAC की 631 वीं बैठक दिनांक 18.03.2023 एवं संशोधित कार्यवाही विवरण 755 वीं दिनांक 21.05.2024 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए तथा पूर्व शर्तों को यथावत रखते हुये परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित संशोधन विन्दुओं में संशोधन कर पुनः संशोधित ToR जारी करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

11. **Case No. P2/907/24:** Prior Environment Clearance for MPIDC (VikramUdyogpuri) proposed Common Effluent Treatment Plant (CETP) with 5 MLD capacity at New Plot No. 152, Administrative Building, DMIC VikramUdyogpuri Limited, Near Village Narwar, District Ujjain-456664 to treat wastewater from member industries situated at Industrial Estate and some neighboring areas by DMIC VIKRAM UDYOGPURI LIMITED, New Plot No. 152, Administrative Building, , Near Village Narwar, District Ujjain-456664. TOR


1. प्रस्तावित परियोजना डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड, ग्राम नरवर के पास, जिला उज्जैन के नए प्लॉट नंबर 152, प्रशासनिक भवन, पर 5 एमएलडी क्षमता वाले प्रस्तावित कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के पर्यावरण स्वीकृति हेतु है। औद्योगिक एस्टेट और कुछ पड़ोसी क्षेत्रों में स्थित सदस्य उद्योगों के अपशिष्ट जल का उपचार इस प्लांट से किया जायेगा।
2. प्रस्तावित परियोजना यह परियोजना ईआईए अधिसूचना, 2006 की अनुसूची और इसकी बाद के संशोधन में कटेगरी 7(h) 'कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP)' की श्रेणी 'बी' के अंतर्गत कवर की गई है।
3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 756 वीं बैठक दिनांक 22.05.2024 में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसित किया गया, उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 87 से 89 तक अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। अतिरिक्त शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. प्रस्तावित इकाई के चारों ओर स्थापित अन्य इकाइयों का विवरण एवं प्रस्तावित इकाई के क्रियाकलापों से इन स्थापित इकाइयों पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन का भी अध्ययन किया जावे एवं इसके निष्कर्षों की जानकारी पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में प्रस्तुत किये जावे। साथ ही स्थापित इकाइयों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के शमन हेतु शमन योजना भी प्रस्तावित कर प्रस्तुत की जाये।
2. प्रस्तावित इकाई से उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट का पूर्ण उपयोग एवं निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु उपायों का उल्लेख पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में करे।



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

का कार्यवाही विवरण

3. ग्लोबल वार्मिंग क्षमता और औद्योगिक गतिविधियों से कार्बन फुटप्रिंट और इसकी कमी के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) में प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ चर्चा की जानी चाहिए।
4. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप में किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) में चर्चा की जानी चाहिए।
5. जनसुनवाई करवाकर पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में जनसुनवाई के दौरान प्राप्त मुद्दों का निराकरण प्रस्तुत किया जावे।
6. प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र का इंजीनियरिंग लेआउट प्लान पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में शामिल करते हुये यह सुनिश्चित किया जाये कि उसमें प्रस्तावित इकाई के समस्त आयामों के साथ जिसमें इकाईओं का विवरण, ग्रीनबेल्ट क्षेत्र, उपयोगिताओं आदि का विवरण जिसमें इन क्षेत्रों के माप आदि भी हो शामिल किये जावे, औद्योगिक क्षेत्र का लेआउट भी प्रदर्शित किया जाये।
7. वैकल्पिक ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस (यदि उपलब्ध हो) का उपयोग किया जाना कैसे सुनिश्चित किया जावेगा पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जावे
8. यदि परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में अधिसूचित इकोसेंसिटिव जोन के भीतर स्थित है, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मंजूरी का आवेदन जो कि वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है कि प्रति संलग्न करे।
9. यदि परियोजना स्थल जल निकाय के आसपास है, तो जल निकाय के किनारे से स्थल की ओर 50 मीटर की दूरी को विकास/निर्माण क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यदि यह आर्द्रभूमि के निकट है, तो आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धित प्राधिकरण से प्राप्त किया जावे।
10. व्यक्तिगत औद्योगिक इकाई से सीईटीपी तक अपशिष्ट के परिवहन का तरीका।
11. उन उद्योगों का विवरण जिनके लिए सीईटीपी सुविधा प्रस्तावित है, जिसमें प्रयुक्त कच्चे माल और निर्मित उत्पाद शामिल हैं।
12. उपचारित अपशिष्ट का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण विकल्प। इस संदर्भ में, उपचारित अपशिष्ट को बाहर प्रवाहित करने के बजाय औद्योगिक संपदा के भीतर ही पुनर्चक्रित करने का विकल्प तलाशें।
13. कम से कम 24 घंटे के लिए समकरण टैंक का विवरण; और उपचारित अपशिष्ट जल रखने या निरंतर निगरानी सुविधाओं, यदि कोई हो, के लिए तालाबों की सुरक्षा करें।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण

14. अंतिम क्षमता के लिए प्रस्तावित उपचार और आवश्यक ग्रीनबेल्ट विकास को समायोजित करने के लिए भूमि की उपलब्धता।

12. **Case No. P2/908/24:** Prior Environment Clearance for manufacturing of 4020 TPA of Pharmaceutical Intermediates & Active Pharmaceutical Ingredient (API) along with by products and non EC products. Total plot area of 18429.01 sq.m/M/s Ripride Remedies Pvt.Ltd. Plot No. 75 A, Vikaram Udyogpuri, Industrial Area, Dewas Road, Ujjain, Madhya Pradesh. TOR SIA/MP/IND3/472537/2024.


1. यह परियोजना प्लॉट नंबर-75 ए, विक्रम उद्योगपुरी, औद्योगिक क्षेत्र, देवास रोड, उज्जैन, (म.प्र.) में एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स एंड इंटरमीडिएट्स के उत्पादन (4020 TPA) के लिए प्रस्तावित है।
2. परियोजना हेतु SEAC की 756 वीं बैठक दिनांक 22.05.2024 को ToR "प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है" उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 89 से 93 तक अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। अतिरिक्त शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. प्रस्तावित इकाई के चारों ओर स्थापित अन्य इकाइयों का विवरण एवं प्रस्तावित इकाई के क्रियाकलापों से इन स्थापित इकाइयों पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन का भी अध्ययन किया जावे एवं इसके निष्कर्षों की जानकारी पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में प्रस्तुत किये जावे। साथ ही स्थापित इकाइयों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के शमन हेतु शमन योजना भी प्रस्तावित कर प्रस्तुत की जाये।
2. प्रस्तावित इकाई से उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट का पूर्ण उपयोग एवं निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु उपायों का उल्लेख पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में करे।
3. ग्लोबल वार्मिंग क्षमता और औद्योगिक गतिविधियों से कार्बन फुटप्रिंट और इसकी कमी के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) में प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ चर्चा की जानी चाहिए।
4. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO₂ उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप में किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) में चर्चा की जानी चाहिए।
5. जनसुनवाई करवाकर पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में जनसुनवाई के दौरान प्राप्त मुद्दों का निराकरण प्रस्तुत किया जावे।



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

का कार्यवाही विवरण

6. प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र का इंजीनियरिंग लेआउट प्लान पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)प्रतिवेदन में शामिल करते हुये यह सुनिश्चित किया जाये कि उसमें प्रस्तावित इकाई के समस्त आयामों के साथ जिसमें इकाईओं काविवरण, ग्रीनबेल्ट क्षेत्र, उपयोगिताओं आदि का विवरण जिसमें इन क्षेत्रों के माप आदि भी हो शामिल किये जावे, औद्योगिक क्षेत्र का लेआउट भी प्रदर्शित किया जाये।
 7. वैकल्पिक ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस (यदि उपलब्ध हो) का उपयोग किया जाना कैसे सुनिश्चित किया जावेगा पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जावे
 8. परियोजना स्थल के अंतर्गत स्टॉप डैम, ड्रेन आदि शामिल हैं अतः इस सन्दर्भ में जल संसाधन विभाग की अनापत्ति एवं सम्बंधित MPPCB/CPCB के निर्देशानुसार उचित उपायों को EIA प्रतिवेदन में शामिल करे।
 9. यदि परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में अधिसूचित इकोसेंसिटिव जोन के भीतर स्थित है, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मंजूरी का आवेदन जो कि वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है कि प्रति संलग्न करे।
 10. यदि परियोजना स्थल जल निकाय के आसपास है, तो जल निकाय के किनारे से स्थल की ओर 50 मीटर की दूरी को विकास/निर्माण क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यदि यह आर्द्रभूमि के निकट है, तो आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धित प्राधिकरण से प्राप्त किया जावे।
13. **Case No. P-2/499/24:** Prior Environment Clearance for Single Super Phosphate Fertilizer Unit Expansion (SSP, GSSP PLANT) Production Capacity (Total after Expansion) Existing SSP – 60000 MT Proposed SSP- 60000 MT Existing GSSP- 30000 MT. At Plot-B, Jaggakhedi Industrial Area, Sanjeet Road, Jaggakhedi, Distt. – Mandsaur (M.P.), 458895 by Shri Raman Mathur, Director, M/s Mexican Agro Chemical Ltd., 9/2 South Tukoganj Behind Surya Hotel, Indore 452001 Cat. 5(a). SIA/MP/IND3/473371/2024
1. यह प्रकरणप्लॉट-बी, जग्गाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र, संजीत रोड, जग्गाखेड़ी, जिला – मंदसौर (म.प्र.) में सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक इकाई के विस्तार (SSP, GSSP PLANT) उत्पादन क्षमता (विस्तार के बाद कुल) Existing SSP – 60000 MT Proposed SSP- 60000 MT Existing GSSP- 30000 MT मीट्रिक टन के लिए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है।
 2. SEAC की 736 वीं बैठक दिनांक 03.04.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशांसा को SEIAA की 848वीं बैठक दिनांक 02.05.24 में मान्य करते हुए पत्र क्र 731 दिनांक 22.05.24 के माध्यम से ToR जारी किया गया था।
 3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 756 वीं दिनांक 22.05.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशांसित किया गया, उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 97 से 106 तक अंकित है।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण

उपरोक्त अनुशंसा उपरांत प्रकरण में प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व विचार विमर्श उपरांत पाया गया कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त परियोजना में Outward No:114671,01/02/2022 Consent No:AW-55164 के माध्यम से कंसेंट टू ऑपरेट जारी की गई थी। चूँकि जारी कंसेंट की वैधता करीब दो वर्ष से अधिक हो चुकी है , अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार,द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.06.2022 के अनुसार परियोजना प्रस्तावक को मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी कंसेंट की सर्टिफाइड कंप्लायंस रिपोर्ट SEAC में प्रस्तुत करें। प्रकरण को SEAC को अग्रेषित किया जाये। SEAC उक्त रिपोर्ट का परीक्षण करने उपरांत ही अनुशंसित करें। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

14. **Case No. 10628/23.** Prior Environment Clearance for Proposed Project for Manufacturing of Basic Organic Chemicals in an area of 0.80 Ha. (8172 TPA) at (Topo Sheet No. F43J10) Village-Suhagpura, Tehsil-Dhar, District-Dhar (MP) by Shri Akshat Sharma, Director, M/s SGA Organics Private Limited, Plot no. 116, Smart Industrial Park, Near NATRIP, Pithampur, District Dhar (MP)-454775, Cat 5 (f) Synthetic Organic Chemicals Project. [IND3/469220/2024] (EIA)

1. यह परियोजना बेसिक कार्बनिक रसायन उत्पादन (आइसो अमाइल अल्कोहल, सुगंध रसायन, स्वाद और सुगंध सामग्री) (8172 टीपीए) ग्राम-सुहागपुरा, तहसील-धार, जिला धार (मध्य प्रदेश) में मेसर्स एसजीए ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर 116 स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क, नैट्रिप के पास, पीथमपुर, जिला धार (मध्य प्रदेश) द्वारा प्रस्तावित 5 (एफ) श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. SEAC की 693वीं बैठक दिनांक 20.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा को SEIAA की 817 वीं बैठक दिनांक 10-11-2023 में मान्य करते हुए पत्र क्र 2132 दिनांक 01.12.23 के माध्यम से ToR जारी किया गया था।
3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 757 वीं दिनांक 24.05.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया, उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 04 से 15 तक अंकित है।
4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है : -

Particulars	Details
Proposal No.	SIAMP/IND3/469220/2024
Date of submission of application	15/04/2024
Case Considered in SEAC meeting for EC	757 SEAC Meeting dated 24.05.24
Location of the Project	22°35'27.37"N 75°35'39.39"E

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण

	22°35'27.83"N 75°35'42.15"E
Plot Area details	1.97 acre (8000 Sq.m)
Production capacity	8172 TPA
Estimated Project Cost	830 Lakhs
	The proposed EMP cost is Rs. 99.6 lakhs and 12 lakhs/year as recurring cost and out of which the Environment Monitoring Cost for the project is 03 lakhs and Rs. 09 lakhs is proposed for green belt development.
Net fresh Water Consumption	As fresh water 20 KLD
Source of Water Supply	AKVN
Treatment Facility proposed	Zero Liquid Discharge" shall be ensured using ETP (5-KLD), MEE (3- KLD) followed by centrifuge and no waste/treated water shall be discharged outside the premises
Source of power supply	Madhya Kshetra Vidyut Vitaran Co Ltd., Bhopal
Power Requirement	The total power requirements for project will be 450 kVA.
Green belt (sq.m)	Total of 2640 m2 area will be developed as greenbelt being it approx. 33% of total plot area.
CER Cost	16.6 Lacs

5. परियोजना क्षेत्र में 13 पेड़ों में से 03 पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है।


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधारपर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 757 वीं बैठक दिनांक 24.05.2024 की अनुशंसा एवं अधिरोपित विशिष्ट शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से V विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट -2) के साथ परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विशिष्ट शर्तें:-

i. परियोजना क्षेत्र में 13 पेड़ों में से 03 पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है। पेड़ों को काटने की बजाय ट्रांसप्लांट किया जाना सुनिश्चित करें।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण


- ii. परियोजना में जल आपूर्ति हेतु AKVN से समन्वय स्थापित करते हुए अनुमति प्राप्त करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन के साथै प्रस्तुत करें
 - iii. Solid/Hazardouswaste के निपटान के लिए संबंधित विभाग से वैध सदस्यता प्राप्त करें और उसकी प्रति अनुपालन प्रतिवेदन के साथमें जमा करें ।
 - iv. इकाई के अंदर वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उचित उपाय करें।
 - v. यूनिट के अंदर उत्पन्न होने वाली दुर्गन्ध को रोकने हेतु उचित प्रबंध करें।
15. **Case No. P-2/89/2024** Shri Narinder Singh Chawla, Director, PRASHANT GRAH NIRMAAN SAHKARI SANSTHA MARYADIT, INDORE - Distt. – Indore (M.P.) 452001. Prior Environment Clearance for PrashantGrahNirmaanSahkariSansthaMaryadit, Indore is proposing a High-Rise Residential Project "Elite Fortune" at Khasra No. 247 at Village Pipliyakumar, Tehsil Junilndore, District -Indore (M. P.), Total Land Area – 11490, Total Built-up Area – 29,969.85 sqmtr. (INFRA2/459049/2024)
1. उक्त प्रकरण निदेशक, प्रशांत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, द्वारा खसरा नंबर 247 ग्राम पिपलियाकुमार, तहसील जूनी इंदौर, जिला- इंदौर (म.प्र.) में प्रस्तावित एक हाई-राइज आवासीय परियोजना "एलिट फॉर्च्यून" के निर्माण हेतु पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
 2. परियोजना का कुल भूमि क्षेत्र –11490 वर्ग मीटर तथा निर्मित क्षेत्र – 29,969.85 वर्ग मीटर है।
 3. ईआईए अधिसूचना 2006 और संशोधनों के अनुसार,परियोजना 8(a) (निर्मित क्षेत्र >20000 वर्ग मीटर से <150000वर्ग मीटर तक) के अंतर्गत 'बी' श्रेणी में सूचीबद्ध है।
 4. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 758वीं दिनांक 27.05.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया,उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 21 से 32 तक अंकित है।

उपरोक्त अनुशंसा उपरांत प्रकरण में प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व विचार विमर्श उपरांत पाया गया कि यह एक हाई राइज बिल्डिंग परियोजना है, परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर निम्नानुसार जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी है:

- प टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से हाई राइज समिति से प्राप्त अनुशंसा एवं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का ले आउट प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- प सहाकारी सोसायटी द्वारा किस बॉय लॉज के अंतर्गत इस प्रकार के निर्माण किये जा रहे है, संस्था के सदस्यों द्वारा इस बावत् सहमति भी नहीं है। इस सम्बन्ध में आयुक्त सहकारिता एवं रजिस्ट्रार सहाकारी समिति/कलेक्टर इंदौर को पत्र लिखकर अभिमत प्राप्त किया जाये की इस तरह की सोसाइटी किस नियम के अंतर्गत इस प्रकार के व्यावसायिक निर्माण कार्य करती हैं।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

16. **Case No. 10583/2023:** Prior Environment Clearance Mittal Corp Limited - "Proposed Expansion of the Existing Rolling Mill production from 1, 50,000 to 1, 80,000 by Shri Pawan Khatri, HR Officer, Mittal Corp Limited, R/o Plot No. 164C, Sector - III, Pithampur Industrial Area, Pithampur District-Dhar (MP)- 454774,

उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की बैठक 758 वीं दिनांक 27.05.2024 में चर्चा व विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

"PP submitted that they have applied for the transferring of TOR from Mittal Corp Ltd. (MCL) to Shyam Sel and Power Ltd. as the MCL has already amalgamated/ taken over by Shyam Sel and Power Ltd. through NCLT vide order dtd. 18.10.2023. The committee after discussion deliberated that as per earlier SEAC meeting, Committee decided that this case can not be considered and forwarded to SEIAA for rejection."Hence in the light of the above PP shall apply a new application for ToR".

SEAC के अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को निरस्त किया जाता है, एवं निर्णयानुसार परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण स्वीकृति हेतु फ्रेश अप्लाई करें। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

17. **Case No. P2/870/24** Prior Environment Clearance for Proposed Upper Burhner Project Near DevriDadar Village, Multi purpose project with Irrigation and Hydro Power Generation Component. CCA23,300 ha., Power generation – 10 Mega Watt (MW), No. of Villages Affected- 19 No., NEAR DEVRI DADAR (V), BICHHIA TEHSIL, MANDLA DISTRICT Mandla (M.P.). by Shri Chandrashekhar Dhruwey, Executive Engineer, office of Chief Engineer, Wainganga Basin, Water Resources Department, Seoni, Distt.-Seoni (M.P.) 480661 ToR. SIA/MP/RIV/470450/2024


1. अपर बुरहनेर बहुउद्देश्यीय परियोजना, सिंचाई (सीसीए— 23,300 हेक्टेयर) और जल विद्युत उत्पादन (बिजली उत्पादन – 10 मेगा वाट (मेगावाट)) के साथ देवरी दादर गांव के पास बिछिया तहसील, मंडला जिला, (म.प्र.) में प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति का प्रकरण है।


2. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 758 वीं दिनांक 27.05.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया, उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 73 से 76 तक अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। अतिरिक्त शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- a) परियोजना क्षेत्र के Up Stream व Down Stream में पानी की उपयोगिता का विवरण EIA Report में सम्मिलित करें।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण


- b) प्रस्तावित कमांड क्षेत्र में भूजल स्तर में उतार-चढ़ाव की स्थिति एवं कमांड क्षेत्र में प्रस्तावित विकास योजना (Development Plan) का विवरण दें।
- c) सिचाई के अंतर्गत लवणता/क्षारीयता को रोकने के लिये प्रबंधन।
- d) ईंधन के संरक्षण हेतु प्रबंधन योजना सब्सिडी वाला ईंधन प्रबंधन योजना प्रस्तुत करें।
- e) राज्य वन विभाग के परामर्श से प्रतिपूरक वनरोपण (Compansatory Plantation) योजना यदि पेड़ काटे जाते हैं और हरित पट्टी विकास योजना की विस्तृत रिपोर्ट EIA में सम्मिलित करें।
- f) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- g) site specific management plan का विस्तृत अध्ययन कर EIA में उल्लेख करे।
- h) sand की कमी को देखते हुए sand के पुर्नउपयोग का प्रावधान को EIA में उल्लेख करे।
- i) प्रारंभिक पम्पिंग स्टेशनों से अंतिम वितरण बिंदु तक पानी के नुकसान का विवरण ईआईए रिपोर्ट में करे।
- j) संचालन अवधि के दौरान marshy land की स्थिति बनने पर क्या control measures लिए जायेंगे उसका विस्तृत विवरण EIA में करे।
- k) रिसाव का पता लगाने की योजना उसके नियंत्रण हेतु उपायों और एमएस पाइपों के लिए जंग से सुरक्षा के लिए योजना की चर्चा EIAमें करे।

18. **Case No. 9862/2023.** Prior Environment Clearance for Capacity Expansion in Existing Iron Ore Beneficiation Plant from 4,80,000 TPA to 20,00,000 TPA, at Khasra No. - 449, 451, 442, 443,444, 448, 450, 453, 432, 434, 437, 438, 441, 445 & 452, Village - Jhiti, Tehsil - Sihora,, District - Jabalpur, (M.P.) Pin - 486886 by Shri Abhyuday Agrawal, Plant Manager, 5th Floor, Dixit Pride, Napier Town, Jabalpur (M.P.) 482001. Total Land : 12.1406 Ha. (Non Forest Land - 12.1406 ha.). 2(b) Mineral Beneficiation Project. SIA/MP/IND1/470249/2024.

1. यह प्रकरण खसरा संख्या 449, 51, 442, 443, 444, 448, 450, 453, 432, 434, 437, 438, 441, 445, 452 गांव-झीटी, तहसील-सिहोरा, जिला-जबलपुर (म.प्र.) में मौजूदा लौह अयस्क बेनेफिसिएशन संयंत्र में 4,80,000 टीपीए से 20,00,000 टीपीए तक क्षमता विस्तार के लौह अयस्क बेनेफिसिएशन संयंत्र के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी का प्रकरण है।
2. पूर्व में उक्त प्रकरण में SEIAA द्वारा 4,80,000 टीपीए लौह अयस्क बेनेफिसिएशन उत्पादन क्षमता हेतु पत्र क्र. 7618/SEIAA/21 दिनांक 24.03.2021 को पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण


3. SEAC की 645 वीं बैठक दिनांक 15.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा को SEIAA की 790 वीं बैठक दिनांक 31.05.2023 में मान्य करते हुए पत्र क्र 589 दिनांक 06.06.23 के माध्यम से ToR जारी किया गया था।
4. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 758 वीं बैठक दिनांक 27.05.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया, उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 76 से 89 तक अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 758 वीं बैठक दिनांक 27.05.2024 की अनुशंसा एवं अधिरोपित विशिष्ट शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से Vii विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-1 840 वीं SEIAA बैठक दिनांक 28.03.2024) के साथ परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- i. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल द्वारा जारी सर्टिफाइड कंप्लायंस रिपोर्ट में आंशिक रूप से पूर्ण किये गए कार्यों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें।
- ii. वृक्षारोपण एवं पूर्व के CER में प्रस्तावित कार्यों का शीघ्र क्रियन्वयन कर अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
- iii. मटेरियल के स्टोरेज को कंक्रीट बेस एवं कवर्ड कर सुरक्षित रखे जाने हेतु उचित प्रबंध करें।
- iv. समिति के समक्ष की गई प्रतिबद्धता के अनुसार मौजूदा और प्रस्तावित tailings को आसपास के क्षेत्र में उनकी कैप्टिव खदानों की बैकफिलिंग में इस्तेमाल करते हुए उसका निष्पादन करें एवं tailings के उपयोग के लिए Brick manufacturer ईट विनिर्माण के साथ अनुबंध करें।
- v. परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करे एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
- vi. Solid/Hazardous waste के निपटान के लिए संबंधित विभाग से वैध सदस्यता प्राप्त करें और उसकी प्रति अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करें।
- vii. इकाई के अंदर वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उचित उपाय करें।
- viii. इकाई के चारों ओर 3 रो में वृक्षारोपण किया जायेगा एवं वृक्षारोपण का परियोजना भू - भाग के क्षेत्रफल का न्यूनतम 33 प्रतिशत रहेगा।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण


19. **Case No.P2/872/24:** Prior Environment Clearance For Proposed Construction of DJV INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED, Commercial Project at Survey No 686,687,689/2 Near SamratChowk, Gram-Kotarkala , Singrauli To Rewa Road EC recommended in SEAC 758 Meeting dated 27-05-2024 at Sidhi (MP). Total Plot Area- 19100.00 Sq. Mtrs, Built-up Area - 61408.75 sq.mtrs by Shri Deepak Kumar Gupta, Director , DJV INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED, at Khashra No. 686, 687, 689/2, Near Samrat Square, GramKotarkala, SingrauliRewa Road, Distt. – Sidhi (M.P.)- 486771, , Cat. - 8(a). Building and Construction projects. (SIAMP/INFRA2/468535/2024).
1. उक्त प्रकरण मप्र सरकार की पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत खसरा नंबर 686, 687, 689 /2, सम्राट चौराहे के पास, ग्राम कोटरकला, सिंगरौली रीवा रोड, जिला-सीधी (म.प्र.) में वाणिज्यिक परियोजना "डीजेवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड "के निर्माण के लिए श्री दीपक कुमार गुप्ता, निदेशक, डीजेवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
 2. परियोजना का कुल भूमि क्षेत्र – 19100.00 वर्ग मीटर, तथा निर्मित क्षेत्र 61408.75 वर्ग मीटर है।
 3. ईआईए अधिसूचना 2006 और संशोधनों के अनुसार, परियोजना 8(a) (निर्मित क्षेत्र >20000 वर्ग मीटर से <150000 वर्ग मीटर तक) के अंतर्गत 'बी' श्रेणी में सूचीबद्ध है।
 4. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 758 वीं दिनांक 27.05.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया, उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 89 से 106 तक अंकित है।
 5. SEAC में चर्चा के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया कि साइट पर 95 पेड़ हैं, उनमें से 88 पेड़ काटे जाएंगे जिसके लिए पीपी ने पहले ही नगर निगम से अनुमति ले ली है एवं शहर के विभिन्न स्थानों पर 1000 पेड़ लगाए गये हैं।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 758 वीं बैठक दिनांक 27.05.2024 की अनुशंसा एवं अधिरोपित विशिष्ट शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से Vi विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-2 840 वीं SEIAA बैठक दिनांक 28.03.2024) के साथ परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- i. परियोजना का रुपांकन परिवर्तित किया जावे ताकि पेड़ों को कम से कम काटना पड़े। पेड़ काटने के स्थान पर वृक्षों को ट्रांसप्लांट किया जाये साथ ही पेड़ों का रख रखाव भी सुनिश्चित किया जाये। ट्रांसप्लांट किये गए पेड़ों को GPS Tagged Photographs एवं invoice के साथ प्राधिकरण में अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करें।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण


- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा 1000 पेड़ लगाये गये हैं। इन लगाये गये पेड़ों की देख-रेख की जाये। जिससे लगाये गये पेड़ जीवित रहें। इसकी जानकारी प्राधिकरण में अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करें।
- iii. परियोजना की जलापूर्ति, ट्रीटेड वेस्ट वाटर डिस्पोजल एवं सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल हेतु नगर निगम से अनुमति प्राप्त कर अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्राधिकरण में प्रस्तुत करें।
- iv. साइट पर किये गए पूर्व निर्माण का प्रतिवद्धता के अनुसार demolish कर पूर्ण रूप से पुनरुपयोग सुनिश्चित करें।
- v. परियोजना में 1 बेसमेंट भी प्रस्तावित है। जिन्हें बनाने के पूर्व खुदाई कार्य किया जावेगा जिससे आस - पास के अन्य संरचनाओं को क्षति पहुंच सकती है। इस हेतु संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन-धन हानि न हो। परियोजना प्रस्तावक अगर संभव हो तो पार्किंग एरिया को बढ़ाने हेतु प्रयास करें।
- vi. स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ई-वाहनों हेतु परियोजना में विद्युत चार्जिंग पॉइंट प्रदान किया जाना सुनिश्चित करे।
- vii. भवन हेतु वैद्युत ऊर्जा की कुल खपत का 30 प्रतिशत हिस्सा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत के माध्यम से प्रतिपूर्ति करना सुनिश्चित किया जाना सुनिश्चित करे।

20. **Case No. P2/871/24** Prior Environment Clearance for Proposed Expansion of "Amber Hotel and Convention Centre" at Khasra No. - Plot No 181/2/1,181/2/2,181/2/6,283/2, Village Nipania, District-Indore, (M.P.), Net Plot Area - 15548.5 m², Built up Area 32,421.93 Sq.m. to 38,421.93 Sq.m. (As per EC Rooms is 160 and after expansion total num. of rooms will be 243) by Shri Ajay Gupta, DGM (Finance), SAYAJI HOTELS LIMITED, H/1, Scheme No. - 54, Vijay Nagar, Indore, Distt.-Indore (M.P.) 452001 Cat. 8(a) Building Construction Projects. SI/MP/INFRA2/469983/2024.. 8 (a) Building Cons. Project

- i. उक्त परियोजना खसरा नंबर - 181/2/1,181/2/2,181/2/6,283/2, गांव, निपानिया-तहसील और जिला- इंदौर (म.प्र.)में मौजूदा होटल "अंबर होटल एंड कन्वेंशन सेंटर" में विस्तार के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
- ii. परियोजना का कुल क्षेत्र 15548.50 sq.m. है एवं कुल निर्मित क्षेत्र 38,421.93 sq.m है, जिसमें मौजूदा निर्मित क्षेत्र 32421.93 sq.m. है।
- iii. पूर्व में उक्त प्रकरण में SEIAA द्वारा कुल निर्मित क्षेत्र 32421.93 sq.m. हेतु पत्र क्र. EC23B038MP133473 दिनांक 10.08.2023 को पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी।
- iv. प्रस्तावित परियोजना हेतु SEAC की 758वीं बैठक दिनांक 27.05.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई, जिसका कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 106 से 121 तक अंकित है।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण


उपरोक्त अनुशंसा उपरांत प्रकरण में प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व विचार विमर्श उपरांत पाया गया कि SEIAA द्वारा पत्र क्र. EC23B038MP133473 दिनांक 10.08.2023 को पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी। चूँकि जारी पर्यावरण स्वीकृति की वैधता करीब 06 माह से अधिक हो चुकी है, अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.06.2022 के अनुसार परियोजना प्रस्तावक को जारी पर्यावरण स्वीकृति का सर्टिफाइड कंप्लायंस रिपोर्ट SEAC में प्रस्तुत करें। प्रकरण को SEAC को अग्रेषित किया जाये। SEAC उक्त रिपोर्ट का परीक्षण करने उपरांत ही अनुशंसित करें। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


21. **Case No. P2/875/24** Shri Amit Goswami, Director, STARLIGHT "TITANIA" BY BHOPAL REDEVELOPMENT REALTY PVT. LTD., Plot No. 5, Inside Govind Narayan Singh Gate, Chuna Bhatti, Kolar Road, Bhopal, Distt. - Bhopal (M. P.), Pin462016. Prior Environment Clearance for Proposed Project is STARLIGHT "TITANIA" BY BHOPAL REDEVELOPMENT REALTY PVT. LTD., at Khasra No. - 88, 89 (Part), 90 (Part) and 92 (Part), Tehsil- Huzur, District - Bhopal (M.P.). Builtup Area- 30,634.02 Square meter, Cat. - 8(a). Building and Construction Projects. SIA/MP/INFRA2/469871/2024


1. यह भोपाल रिडेवलपमेंट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खसरा नंबर - 88, 89 (भाग), 90 (भाग) और 92 (भाग), तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल (म.प्र.)में प्रस्तावित प्रोजेक्ट स्टारलाइट "टाइटैनिया" के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. परियोजना का कुल क्षेत्र 15548.50 sq.m. है एवं कुल निर्मित क्षेत्र 30634.02 वर्ग मीटर है, जिसमें मौजूदा निर्मित क्षेत्र 32421.93 sq.m. है।
3. प्रस्तावित परियोजना हेतु SEAC की 758वीं बैठक दिनांक 27.05.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई, जिसका कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 121 से 136 तक अंकित है।

उपरोक्त अनुशंसा उपरांत प्रकरण में प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पर अपलोड लैंड सम्बंधित दस्तावेजों के अनुसार उक्त लैंड भोपाल रिडेवलपमेंट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है। जबकि वृक्षों की कटाई का परमिशन दिलीप बिल्डकॉन द्वारा ली गई है। पर्यावरण स्वीकृति का आवेदन भोपाल रिडेवलपमेंट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है तो दिलीप बिल्डकॉन द्वारा किस आधार पर वृक्षों की कटाई का परमिशन प्राप्त की गई है। उपरोक्त वृक्षों के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में क्या कार्यवाही की गई है इसकी जानकारी के साथ और दिलीप बिल्डकॉन एवं भोपाल रिडेवलपमेंट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के मध्य क्या अनुबंध है के स्पष्टीकरण हेतु प्राधिकरण के समक्ष परियोजना प्रस्तावक उपस्थित होकर जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्णय लिया गया। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधित को सूचनार्थ।

22. **Case No. P2/883/24** Prior Environment Clearance for Proposed Project "Sage Corporate Office (Sage Tower)" Construction of Commercial Complex which is to be developed at Plot No. 51A/7 & 51A/8, Vidhya Nagar, Phase-2, Hoshangabad Road, Teh.- Huzur, District - Bhopal Land area- 4229sq.m. Built-up Area- 29359.66 Square meter, by M/S Sage Enterprises & Sage Associates through Shri Sanjeev Agrawal, Partner, Sagar


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

का कार्यवाही विवरण

Plaza – 250, G-2, M.P. Nagar- Bhopal, Distt. Bhopal (M. P.), 462011. Cat. - 8(a).
Building and Construction projects. SIA/MP/INFRA2/468508/2024.

- i. उक्त परियोजना खसरा नंबर – 51ए/7 और 51ए/8, विद्या नगर फेस-2, होशंगाबाद रोड, तह. –हुजूर, जिला-भोपाल (म.प्र.) में सेज एंटरप्राइजेज और सेज एसोसिएट्स द्वारा वाणिज्यिक परिसर “सेज कॉरपोरेट ऑफिस (सेज टॉवर)” में विस्तार के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
- ii. परियोजना का कुल क्षेत्र 4229 वर्ग मीटर है एवं कुल निर्मित क्षेत्र 29359.66 वर्ग मीटर है।
- iii. जिसमें मौजूदा निर्मित क्षेत्र 14640.020 वर्ग मीटर है। उक्त निर्माण हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से दिनांक 21.06.2022 में CTE प्राप्त की गई थी।
- iv. प्रस्तावित परियोजना हेतु SEACकी 758वीं बैठक दिनांक 27.05.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई, जिसका कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 136 से 149 तक अंकित है।

उपरोक्त अनुशंसा उपरांत प्रकरण में प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व विचार विमर्श उपरांत पाया गया कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त परियोजना में CTE-56176 दिनांक 21.06.2022 के माध्यम से CTE जारी की गई थी। चूंकि जारी कंसेंट की वैधता करीब दो वर्ष से अधिक हो चुकी है, अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार,द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.06.2022 के अनुसार परियोजना प्रस्तावक मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी कंसेंट की सर्टिफाइड कम्प्लायंस रिपोर्ट SEAC में प्रस्तुत करें। प्रकरण को SEAC को अग्रेषित किया जाये। SEAC उक्त रिपोर्ट का परीक्षण करने उपरांत ही अनुशंसित करें। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


23. **Case No. P2/11/2024** Prior Environment Clearance for proposed Shopping Mall in an area of 0.861 ha. (Total Land Area-8126.800 Sq.M., Total Built-up Area-42593.85 Sq.M.) (Khasra No. 141/2, 142), Village-Sohagpur, Tehsil Sohagpur, District Shahdol (MP). By Shri Akash Shukla, General Manager, M/s. Samdariya Builders (Shahdol) Pvt. Ltd., Hotel Samdariya Inn, RusselChowk, Napier Town, Jabalpur(M.P.). 482001.

1. मध्य प्रदेश सरकार की पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत समदरिया बिल्डर्स शहडोल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित यह वाणिज्यिक परिसर 141/2,142 गांधी चौक बुद्धार रोड शहडोल (एमपी) में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. परियोजना का कुल प्लॉट क्षेत्र = 8610 वर्ग मीटर, कुल निर्मित क्षेत्र = 42593.85 वर्ग मीटर, है।
3. उक्त प्रकरण हेतु SEACकी 758वीं बैठक दिनांक 27.05.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई, जिसका कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 149 से 169 तक अंकित है।

उपरोक्त अनुशंसा उपरांत प्रकरण में प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व विचार विमर्श उपरांत पाया गया कि परियोजना पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत किया जा रहा है परियोजना स्थल पर पूर्व से की कुछ निर्माण किया गए है जैसा की SEAC के बैठक के कार्यवाही विवरण में उल्लेखित है। परियोजना में पेड़ काटा जाना भी प्रस्तावित है जिसके लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष


अनुमति प्राप्त कर ली गई है। अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया है की परियोजना में ट्रांसप्लांट करने एवं वृक्षों के काटने से बचाने सम्बंधित किस प्रकार की योजना प्रस्तावित की गई है उसके स्पष्टीकरण हेतु प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हों।

24. **Case No 9703/2023** Prior Environment Clearance for areadevelopment project "Infrastructure Development Work of 45M Wide Master Plan Road (TDS-201/2020) [Total Plot Area-2269107.6 sqm, Total Built-up Area1443221.17 sqm) at Village- Misrod, Jatkhedi, Bagli, Katara and Barrai of Bhopal district, Tehsil-Huzur, DistrictBhopal, (MP)Shri Yatish Jain, Executive Engineer, Division No. 1, Bhopal Development Authority, PragatiBhawan, Press Complex, M.P. Nagar, Zone-1, District-Bhopal (MP)-462011.. Category-8-b,

1. उक्त परियोजना "Infrastructure Development Work of 45M Wide Master Plan Road (TDS-201/2020) क्षेत्र विकास परियोजना के अंतर्गत खसरा नंबर 1549, 1551, 1552 (प), 45/1, 47/1, ग्राम-झगड़िया, कटारा, बागली, भोपाल, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल, (म.प्र.) में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है। परियोजना का कुल प्लॉट क्षेत्र -2269107.6 वर्गमीटर, कुल निर्मित क्षेत्र -1443221.17 वर्गमीटर) है।
2. विकास के लिए पुनर्गठित क्षेत्र में से 89.129 हेक्टेयर आबादी क्षेत्र को छोड़कर टीएंडसीपी द्वारा 226.911 हेक्टेयर क्षेत्र को स्वीकृत किया गया है। इसलिए पर्यावरण स्वीकृति के लिए पूर्ण रूप से 226.911 हेक्टेयर क्षेत्र ही स्वीकृत है। आबादी क्षेत्र 89.129 हेक्टेयर पर्यावरण स्वीकृति आवेदन का भाग नहीं है।
3. परियोजना में प्रस्तावित विकास केवल एक क्षेत्र विकास परियोजना है जिसके तहत केवल सड़क नेटवर्क (45 मीटर, 30 मीटर, 20 मीटर, 12 मीटर और अन्य ट्रंक रोड), पानी, सीवरेज और एसटीपी आदि जैसे बुनियादी ढांचे के काम किए जाएंगे।
4. SEAC की 640वीं बैठक दिनांक 18.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा को SEIAA की 786 वीं बैठक दिनांक 11.05.2023 में मान्य करते हुए पत्र क्र 400 दिनांक 17.05.23 के माध्यम से ToR जारी किया गया था।
5. प्रकरण में SEAC की 631वें 663 वीं तथा 694 वीं बैठक में आयोजित विचार-विमर्श के दौरान म.प्र. परियोजना में प्रस्तावित सुविधाएं, वृक्षारोपण, सौर ऊर्जा का प्रावधान, क्षेत्र की पुनर्भरण दर विकास परियोजना, क्षेत्र का यातायात अध्ययन, कार्बन फुट प्रिंटिंग, ईएमपी, सीईआर, पार्किंग वैज्ञानिक अध्ययन, जल की मांग और अपशिष्ट जल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि पर चर्चा की गयी।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण


6. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 713 वीं दिनांक 11.01.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया, उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 01 से 19 तक अंकित है।

SEAC द्वारा प्रकरण में 713 वीं बैठक दिनांक 19.12.2023 SEAC द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 831 वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर पुनः अनुशंसा हेतु प्रकरण को SEAC प्रेषित किया जाये :-


- i. परियोजना के प्रस्तावित कार्य स्थल के अन्दर से दो नाले प्रवाहित हो रहे हैं।, जो कि इस भू-भाग के पानी निकासी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है इसके बाधित होने से इनके माध्यम से उपर के हिस्से में स्थित कालोनियों के पानी निकासी होती है जो कि बारिश के दिनों में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है प्रस्तावित परियोजना के अनुमोदित लेआउट में भी इन नालों के पानी निकासी के संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं पाया गया है साथ ही परियोजना प्रस्ताव में भी इन नालों के साथ अन्य नालों का संरक्षण एवं सुरक्षात्मक उपायों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिलता है SEAC द्वारा भी इस बिन्दु पर कार्यवाही विवरण में कोई विवरण नहीं दिया है। परियोजना स्थल के समीप लहारपुर डैम भी स्थित है, अतः पर्यावरणीय संवेदनशीलता के आधार पर इन दोनों बिन्दुओं पर परियोजना प्रस्तावक से प्रस्ताव प्राप्त कर SEAC द्वारा इनका आकलन कर तदानुसार पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जावे।
- ii. परियोजना में ग्रीन एरिया का प्रतिशत 5.82 है जो की कम प्रतीत हो रहा है, अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन एरिया को अधिक से अधिक विकसित करने का प्रयास किये जाये ताकि क्षेत्र में निवास करने वाली आम आदमी प्रदूषण के खतरों से बच सके।
- iii. समिति द्वारा अधिरोपित विशिष्ट शर्त बिन्दु क्र VII (iii) में उल्लेख किया गया है "175 tree will be cut/transplanted during the development if the whole scheme against which 1750 No. of trees are proposed as compensatory plantation by PP. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना नियोजन के दौरान पेड़ों को बचाने हेतु आवश्यक परिवर्तन किया जाये ताकि अधिक से अधिक पेड़ बच सकें। साथ ही पेड़ों को काटने की जगह पेड़ों को आधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर पेड़ों को स्थानांतरित (ट्रांसप्लांट) किया जावे। यदि अत्यंत आवश्यक हो तो ही पेड़ काटने के पूर्व सक्षम अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त कर ही पेड़ काटा जायेंगे। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक से वचन प्रतिबद्धता अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाये।

समिति ने उपरोक्त SEIAA द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का परीक्षण कर परियोजना प्रस्तावक को SEAC की 735 वीं बैठक दिनांक 02.04.2024 में निम्न अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिये:-

- प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में गूगल ईमेज के अनुसार दो प्राकृतिक नाले प्रवाहित होते दिख रहे हैं अतः इन दोनों नालों के प्राकृतिक बहाव के संरक्षण हेतु एवं पानी के


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

का कार्यवाही विवरण


केचमेन्ट क्षेत्र को ध्यान में रखते हुये अभियांत्रिकी एवं वैज्ञानिक डिजाईन पर्याप्त बजट के साथ ई.एम.पी योजना में प्रस्तुत की जाये।


- परियोजना प्रस्तावक एक शपथ पत्र प्रस्तुत करें जिसमें हरित क्षेत्र एवं पेड़ों के संरक्षण हेतु आदि के विषय में सिया द्वारा जो विचार दिया गया है उसके बारे में वचन पत्र देते हुये पर्याप्त बजट के साथ ई.एम.पी योजना में प्रस्तुत की जाये।


परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त बिंदुओं पर चाही गई जानकारी दिनांक 20.05.2024 के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर अपलोड की गई जिसे SEAC की 760 वीं बैठक दिनांक 29.05.2024 में चर्चा उपरांत जानकारी संतोषप्रद पाए जाने पर समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत नालों के संरक्षण में दिये गई योजना, ग्रीन बेल्ट स्कीम में दिये गये प्रस्ताव तथा संशोधित ई.एम.पी. योजना को मान्य करते हुये अपनी पूर्व सेक की 713वीं बैठक दिनांक 11/01/2024 मे पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा एवं अन्य सभी शर्तों के साथ शामिल करते हुये यथावत रखने का निर्णय लिया गया। उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 103 से 110 तक अंकित है।

परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :-

Particulars	Details
Proposal No. SIA/MP/INFRA2/432130/2023	Registered in MPSEIAA on 20.02.23 with Case no. 9703
Tor Issued	17-05-23
EIA Submitted	04.07.23
Location of the Project	23° 09' 18.50" N 77° 44' 28.03 "E
Water Requirement	The Total Water requirement for operational phase of the proposed area development is envisaged to be approx. 9.19 MLD. Fresh water requirement is 6.06 MLD and 3.0342 MLD water will be met by treated water.
Waste Water generation	The total waste water generation is envisaged to be approx.7.28 MLD which will be treated in the STP (MBBR with ultrafiltration system) of capacity of 8.08 MLD (3.86 +2.79 +1.4) MLD. The recovered water will be reused in Landscaping, maintaining artificial water body & use in nearby construction area in near future during further development of the scheme.
Green Area	As per the T&CP, 5 % of the total scheme will be kept as open green i.e. 11.47 Ha against which 13.16 ha has been proposed. Total 20072 trees with percentage 5.82% shall be planted in the area of 131636.8 sq.m (13.1636 Ha). Green area along the roads is 20,847 sq.m, Green Area for Park development(OPEN) is 35,430.84 sq.m, Green Area of Dense Plantation(OPEN) is 75,359 sq.m. 175 tree will be cut/transplanted during the development if the whole scheme against which 1750 No. of trees are proposed as compensatory plantation by PP.


(मुजीबुरहमान खां)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

का कार्यवाही विवरण


Energy Conservation	PP has committed (Bhopal Development Authority) that total minimum 31% of the power demand will be conserved by using provisions of Solar Energy
Project cost	Total Project Cost is 381 cr.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधारपर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 760 वीं बैठक दिनांक 29.05.2024 की अनुशंसा एवं अधिरोपित विशिष्ट शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से Vii विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-2 840 वीं SEIAA बैठक दिनांक 28.03.2024) के साथ परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- i. नाले के दोनों तरफ 9.5 मी. का ग्रीन बेल्ट विकसित करें। इसके अलावा सास के समक्ष की गई प्रतिबद्धता के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करें
- ii. *Approx. INR 10.09 Crore has been allocated in BoQ(Bill of Quantity) of DPR for the construction/maintenance of the runoff nala's. Provision of parapet wall and embankment are proposed along with the EMP measures and the amount 32.5 lakhs has been allocated in the EMP budget.*
- iii. *For development and plantation at Chinar Park, Bhopal with the consultation of Nagar Nigam/PWD. Amount of INR 5 Lakhs has been allocated for plantation and maintenance. Intimation of the same has been given to Nagar Nigam via vide letter no. 1210/का. यं./सं. 01/भोविप्रा/24 भोपाल दिनांक 28/05/2024.*
- iv. EMP में प्रस्तावित उर्मेनतमे का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें परियोजना के जलापूर्ति, ट्रीटेड वेस्ट वाटर डिस्पोजल एवं सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल हेतु नगर निगम से अनुमति प्राप्त कर अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्राधिकरण में प्रस्तुत करें।
- v. चूंकि प्रस्तावित योजना केवल एक क्षेत्रीय विकास हेतु है, जिसके तहत केवल सड़क नेटवर्क जैसे बुनियादी ढांचे का काम होना है (45 मीटर, 30 मीटर, 20 मीटर, 12 मीटर और अन्य फीडर रोड), पानी, सीवरेज और एसटीपी आदि का कार्य। अतः परियोजना के अंदर किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण प्रस्तावित होने पर भूखंड मालिकों से संबंधित विकास/निर्माण के लिए ईआईए अधिसूचना 14.09.2006 के अंतर्गत अलग से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।
- vi. स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ई-वाहनों हेतु परियोजना में विद्युत चार्जिंग पॉइंट प्रदान किया जाना सुनिश्चित करे।
- vii. भवन हेतु विद्युत ऊर्जा की कुल खपत का 31 प्रतिशत हिस्सा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत के माध्यम से प्रतिपूर्ति करना सुनिश्चित किया जाना सुनिश्चित करे।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

25. **Case No P2/308/2024:** Prior Environment Clearance for Dobi Irrigation Project in an area of 19,468 ha. at 51 Villages Village: Dobi Jait, Tehsil: Budhni, Dist.: Sehore, (MP) by Shri Mukesh Raikwar, Executive Engineer, O/o Department of Irrigation, 59, Narmada Bhavan, Arera Hills, District-Bhopal, (MP)- 462011, Email: eenvda23@mp.gov.in

1. उक्त प्रकरण डोबी माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना गाँव: डोबी जैत, तहसील: बुधनी, जिला: सीहोर, म.प्र. के 51 गाँव में 19468 हेक्टेयर (सीसीए) क्षेत्र हेतु प्रस्तावित पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. ईआईए अधिसूचना 2006 और उसके बाद के संशोधनों के अनुसार, कमांड क्षेत्र >10,000 हेक्टेयर सिंचाई परियोजनाओं को मद 1(सी) में सूचीबद्ध किया गया है। उक्त परियोजना 19468 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र है, इस कारण प्रकरण "बी1" श्रेणी के अंतर्गत विचाराधीन है।
3. पूर्व में उक्त परियोजना में MPSEIAA द्वारा के *B2* श्रेणी के अंतर्गत EC vide Identification No. EC23B003MP128699 File No. 10448/2023 के माध्यम से दिनांक 27/10/2023 को पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई थी।
4. अब, राज्य सरकार ने परियोजना के कमांड क्षेत्र को 19,468 हेक्टेयर तक बढ़ाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति को संशोधित किया है। इसलिए, यह परियोजना अब बी1 श्रेणी में शामिल हो गया है। इसलिए, ईआईए अधिसूचना 2006 और उसके बाद के संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा टीओआर के लिए बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया गया है।
5. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 732 वीं बैठक दिनांक 20.03.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 45 से 49 पर अंकित है।


SEAC की अनुशंसा उपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (MPSEIAA) की बैठक क्र. 845 वीं बैठक दिनांक 24/04/2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-


" राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 732वीं बैठक दिनांक 20/04/2024 की अनुशंसा उपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (MPSEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि चूंकि परियोजना में पूर्व में 8544 ha. CCA हेतु पर्यावरण स्वीकृति जारी की जा चुकी है, वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा 19468 ha. CCA हेतु आवेदन किया है अतः प्रकरण EIA अधिसूचना 2006 के पैरा 7(ii) के अनुसार एक्सपॉन्शन का है परियोजना को एक्सपॉन्शन के दृष्टि परीक्षण एवं अनुशंसा हेतु SEAC प्रेषित किया जाये "

उपरोक्तानुसार प्रकरण को उपरांत आधार पर SEAC की 761 वीं बैठक दिनांक 30.05.2024 में पुनः विचार कर अनुशंसित किया गया:-

समिति ने परीक्षण उपरान्त पाया कि


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण

- PP submitted that earlier for the Dobi Irrigation Project EC vide Identification No. EC23B003MP128699 File No. 10448/2023 Category B 1(c) River Valley projects Project, was granted on 27/10/2023 by MP SEIAA under Category B2 Project as its CCA was less than 10,000 Ha.
- Now, the State Government has revised the administrative approval to increase the command area of project to 19,468 Ha. Hence, the project now falls under B1 Category. Therefore, as per provisions of EIA Notification 2006 and its subsequent amendments Scoping Clearance (ToR) and Public Hearing is needed. We are applying for ToR as the project is now falling under B-1 Category.


चूँकि परियोजना में पूर्व में 8544 ha. CCA हेतु पर्यावरण स्वीकृति जारी की जा चुकी है, वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा 19468 ha. CCA हेतु आवेदन किया है अतः प्रकरण EIA अधिसूचना 2006 के पैरा 7(ii) के अनुसार एक्सपॉन्शन का है। अतः परियोजना प्रस्तावक के लिये 19468 ha. CCA अनुसार टॉर एक्सपॉन्शन के लिये अनुशंसित किया जाता है एवं सेक की 732वीं बैठक दिनांक 20/03/2024 में अनुशंसित किये गये टॉर की शर्तें यथावत रहेगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- a) परियोजना क्षेत्र के Up Stream व Down Stream में पानी की उपयोगिता का विवरण EIA Report में सम्मिलित करें।
- b) प्रस्तावित कमांड क्षेत्र में भूजल स्तर में उतार-चढ़ाव की स्थिति एवं कमांड क्षेत्र में प्रस्तावित विकास योजना (Development Plan) का विवरण दें।
- c) सिंचाई के अंतर्गत लवणता/क्षारीयता को रोकने के लिये प्रबंधन।
- d) ईंधन के संरक्षण हेतु प्रबंधन योजना सब्सिडी वाला ईंधन प्रबंधन योजना प्रस्तुत करें।
- e) राज्य वन विभाग के परामर्श से प्रतिपूरक वनरोपण (Compansatory Plantation) योजना यदि पेड़ काटे जाते हैं और हरित पट्टी विकास योजना की विस्तृत रिपोर्ट EIA में सम्मिलित करें।
- f) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- g) site specific management plan का विस्तृत अध्ययन कर EIA में उल्लेख करे।
- h) sand की कमी को देखते हुए sand के पुर्नउपयोग का प्रावधान को EIA में उल्लेख करे।
- i) प्रारंभिक पम्पिंग स्टेशनों से अंतिम वितरण बिंदु तक पानी के नुकसान का विवरण ईआईए रिपोर्ट में करे।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष


**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण**


- j) संचालन अवधि के दौरान marshy land की स्थिति बनने पर क्या control measures लिए जायेंगे उसका विस्तृत विवरण EIA में करे।
- k) रिसाव का पता लगाने की योजना उसके नियंत्रण हेतु उपायों और एमएस पाइपों के लिए जंग से सुरक्षा के लिए योजना की चर्चा EIA में करे।


26. **Case No 9381/2023M/s Shri Shakambari Ferrous Pvt. Ltd, Khasra No. 124, 125, 129, 130, 141, 235/141, Village - Mendhi, Tehsil - Niwas, Dist. Mandla, MP - 481661, Prior Environment Clearance for 49000 Tonne Per Annum capacity of Billets and TMT Bar at Khasra No. 124, 125, 129, 130, 141, 235/141, Village - Mendhi, Tehsil EC recommended in SEAC 761 Meeting dated 30-05-2024 - Niwas, Dist. Mandla (MP)**

1. प्रस्तावित परियोजना खसरा नंबर 124, 125, 129, 130, 141, 235/141, गांव – मेंधी, तहसील – निवास, जिला मंडला (एमपी) में बिलेट्स और टीएमटी बार की क्षेत्र 1.99 हेक्टेयर में 49000 टन प्रति वर्ष क्षमता के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. यह एक रोलिंग मिल परियोजना है। ईआईए अधिसूचना 2006 एवं संशोधित 2009 के तहत सभी गैर-विषैले माध्यमिक धातुकर्म प्रसंस्करण उद्योग >5000 टन/वार्षिक धातु घटकों का उत्पादन एसएन 3 (ए), बी में पर्यावरण स्वीकृति हेतु कवर किया गया है।
3. डीएफओ के पत्र सं. 1621 दिनांक 10.08.2022 के अनुसार परियोजना स्थल से 10 किलोमीटर के भीतर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव उद्यान स्थित नहीं है।
4. प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 761 वीं दिनांक 30.05.202 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया, उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 13 से 24 तक अंकित है।
5. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है:-

S. No.	Particulars	Details
	Nature & Size of the Project	Shri Shakambari Ferrous Pvt. Ltd. Project at Khasra No. 124, 125, 129, 130, 141 & 235/141, Total Area – 2.67 Ha (i.e. 1.99 Ha Site Area and Remaining 0.68 Ha Open Green Area), and Proposed Capacity 49,000 TPA of Billets and TMT Bar, Village- Mendhi, Tehsil –Niwas, District: - Mandla, M.P.
1	Area	Total Area – 2.67 Ha (i.e. 1.99 Ha Site Area and Remaining 0.68 Ha Open Green Area)
2	Geo coordinates	Latitude - 23° 5'32.39"N Longitude - 80°11'41.03"E
3	Production Capacity	Billets and TMT Bar 0.049 MTPA
4	Water Requirement	7.73 KLD Source of Water- Through Water tanker
5	Capital cost of the project	Rs 36 Crores


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 761 वीं बैठक दिनांक 30.05.2024 की अनुशंसा एवं अधिरोपित विशिष्ट शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से ix अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट -1 प्राधिकरण की 840 वीं बैठक दिनांक 03.04.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों) के साथ परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- i. समिति के समक्ष की गई प्रतिबद्धता अनुसार ऑटो-निकास और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए सड़क के किनारे और आस-पास के क्षेत्रों जैसे कि स्कूल में, गांवों में सामाजिक वानिकी में या बैरन स्थान पर वृक्षारोपण किया जाना सुनिश्चित करें।
 - ii. परियोजना में उत्सर्जित खतरनाक अपशिष्टों का प्रबंधन पर विशेष व्यवस्थाओं पर ध्यान रखा जाये। उत्सर्जित खतरनाक अपशिष्टों का लेखा रखा जाये एवं उनका निष्पादन कैसे हुआ का भी विवरण का रिकार्ड रखें। यह सतत प्रक्रिया हो जिससे प्रतिदिन संधारित किये जाये एवं उनका विवरण मं.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अर्ध वार्षिक आधार पर भेजा जाये।
 - iii. खतरनाक रसायनों, गैसों के प्रबंधन पर समुचित ध्यान रखा जाये एवं आपदा से निपटने के लिये समय-समय पर माकड्रिल आयोजित की जाये।
 - iv. परियोजना अंतर्गत उत्सर्जित अनुपयोगी (waste heat) उष्मा का समुचित प्रबंधन कर पुर्नउपयोग किया जाये।
 - v. उद्योग से उत्पन्न Waste Heat का अधिकतम पुर्नउपयोग उद्योग में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
 - vi. उद्योग से उत्पन्न दूषित जल का जहाँ तक हो सके पुर्नउपयोग उद्योग में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
 - vii. रिसाव का पता लगाने के लिए मशीनरी के संचालन के दौरान सभी ईंधन, तेल, या द्रव युक्त फिटिंग, होसेस और सील का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाना चाहिए एवं इसका रिकार्ड भी रखा जाये।
 - viii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोडिंग-अनलोडिंग क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक प्रावधान जैसे इस क्षेत्र के भू स्थल/टोस सरफेस का विकास, क्षेत्र की साफ सफाई, इस क्षेत्र के अपशिष्ट का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से निष्पादन एवं अन्य उपाये किए जाए।
 - ix. परियोजना के जल आपूर्ति हेतु सम्बंधित विभाग से अनुमति प्राप्त करें।
27. **Case No. – P2/905/2024:** Prior Environment Clearance for Nakshatra Township- Residential Plotted & Group Housing Project, at Khasra No. - 205/9, 205/4, 205/26/2, 205/24/2, 205/2, 205/1, 204/1/2, 200/2/3, 200/2/2, 200/2/1, 200/1/2, 200/1/1/2, Village- KhajuriKalan, Teh.- Huzur, District – Bhopal (M.P.). Total Plot area –22631.99 Sq. m (5.59 Acre). Built-up Area - 55734.79 sq.mtrs.by Shri Ram kumarNarwani (Authorized


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण**

Signatory) M/s. RKN Buildcon India pvt. Ltd. Nakshatra Township- Residential Plotted & Group Housing Project, Shop No. 10 Upper Grond Plot No. G2/113, Amaltas Regency, Gulmohar, Bhopal (M.P.) 462016, , Cat. - 8(a). Building and Construction projects. SIA/MP/INFRA2/471249/2024

1. उक्त प्रकरण मेसर्स आरकेएन बिल्डकॉन इंडिया प्रा. लिमिटेड श्री राम कुमार नरवानी (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) द्वारा खसरा नंबर - 205/9, 205/4, 205/26/2, 205/24/2, 205/2, 205/1,204/1/2, 200/2/3, 200/2/2, 200/2/1, 200/1/2, 200/1/1/2, ग्राम-खजूरीकलां, तह.-हुजूर, जिला-भोपाल (म.प्र.) में नक्षत्र टाउनशिप - आवासीय प्लॉट और गुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, कुल प्लॉट क्षेत्रफल-22631.99 मी (5.59 एकड़), निर्मित क्षेत्र - 55734.79 वर्गमीटर,के प्रस्तावितनिर्माण के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. ईआईए अधिसूचना 2006 और संशोधनों के अनुसार,परियोजना 8(a) (निर्मित क्षेत्र >20000 वर्गमीटर से <150000 वर्ग मीटर तक) के अंतर्गत 'बी' श्रेणी में सूचीबद्ध है।
3. परियोजना हेतु SEAC की 761 वीं बैठक दिनांक 30.05.2024 को "पर्यावरणीय स्वीकृति "प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 82 से 96 तक अंकित है।
4. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की बैठक 761 वीं बैठक दिनांक 30.05.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया,उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 82 से 96 तक अंकित है।
5. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है : -

Particulars	Details
Proposal No.	SIA/MP/INFRA2/471249/2024
Submission date	03/05/2024
Case Considered in SEAC meeting for EC	SEAC 761 meeting dated 30.05.2024,
Location of the Project	A 23°13'9.62"N 77°30'6.70"E B 23°13'8.91"N 77°30'11.36"E C 23°13'2.47"N 77°30'9.56"E D 23°13'5.62"N 77°30'3.42"E E 23°13'7.19"N 77°30'5.59"E F 23°13'8.66"N 77°30'8.68"E
Name of Applicant	Shri Ram kumar Narwani (Authorized Signatory) M/s. RKN Buildcon India pvt. Ltd. Nakshatra Township- Residential Plotted & Group Housing Project, Shop No. 10 Upper Grond Plot No. G2/113, Amaltas Regency, Gulmohar, Bhopal (M.P.) 462016
Project details	The Proposed project is "Nakshatra Township" Construction of Residential Plotted & Group Housing Project by M/s RKN Buildcon India Private Limited, Ram Kumar Narwani (Authorized Signatory). The total plot size of the project is 22631.99 Sq.mtr. (2.264 Ha.) at village- Khajuri Kalan, VikasKhand- Phanda, Tehsil- Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh-

(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष


**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण**

	462016.Cat. 8(a) Building Construction Projects.
Total plot area	22631.99 Sq. m (5.59 Acre),
Total Built-up Area	55734.79 sq.m
Facilities proposed	The proposed project consists of Duplexes, Group Housing and Shops etc
Water requirement & Sources	Total Water requirement is 445 KLD (Fresh water 295 KLD) which will be met by Municipal Water Supply.
Waste water generated	Waste Water generation at the site will be 385.33 KLD which will be treated by the STP having Capacity of 400 KLD.
Recycled Water	149.305 KLD recycled water will be used for flushing and 20.02 KLD water will be used for horticulture
Capacity & Technology of STP	Sewage shall be treated in the MBBR based STP (Capacity - 400 KLD). The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing. AC makes up water and gardening. As proposed, no treated water shall be disposed in to municipal drain.
RWH	5recharge pits will be constructed for harvesting rain water,
Solid Waste Generation	Total waste 1801 Kg/day, this consist all types of wastes these all type of waste shall be treated/ disposed off as per provision made in the MSW Rules 2016.
Building Height	As per T&CP Guidelines and BMC Building permission Rule. The minimum required space between two residential is 06 meter for the maximum building height upto 30 Meters and in our project we are providing 7.2 meters gap between each block.
Parking	Total proposed Parking's arrangement for 720 ECS. 28 nos. of e – vehicles charging points shall be provided at the project site.
EMP Cost	For Environment Management Plan PP has proposed Rs. 1.74 Cr as capital and Rs. 0.207 Cr as recurring cost for this project.
CER Cost	For Corporate Environment Responsibility PP has proposed Rs 10 Lacs under Corporate Environment Responsibility (CER).
Total power requirement & Source No. & Capacity of DG	The power supply will be supplied by MP Central Zone Electricity Distribution Company. The connected load for Commercial project is approx. 3410KW. The power backup will be met by 2 DG Set having capacity of 300 kVA each. 150 KW Solar renewable energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 21 % of the demand load.
Greenbelt area	Total 1000 trees shall be planted in the 12% of total plot area which is developed as greenbelt development

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधारपर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 761 वीं बैठक दिनांक 30.05.2024 की अनुशंसा एवं अधिरोपित विशिष्ट शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से iv विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट -2 840वीं बैठक दिनांक 28.03.2024) के साथ परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण


- i. परियोजना के जलापूर्ति , ट्रीटेड वेस्ट वाटर डिस्पोजल एवं सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल हेतु नगर निगम से अनुमति प्राप्त कर अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
- ii. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30% गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO₂ उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।
- iii. परियोजना स्थल के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित करें।
- iv. समिति के समक्ष की गई प्रतिबद्धता अनुसार परियोजना स्थल पर ई-वाहनों के चार्जिंग हेतु 28 पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।


28. **Case No. – P2/904/2024.** M/s Esbe Constructions Private Limited, Shri Kishore Samdariya (Authorized Signatory), 789, Hotel Samdariya INN, RussalChowk, Jabalpur, (M.P.).482002. Prior Environment Clearance for Proposed "Lotus Avenue" Residential Cum Commercial Project in an area of 3.585 ha. In front of Civil Line Police Station, Civil Lines, District - Jabalpur (M.P.). Total Plot Area - 35850.00 Sq.mt. Sq.Mt., Total Built up Area – 1,84,834.999 Sq.m. SIA/MP/INFRA2/471854/2024 Cat. 8(b) Townships/ Area Development Projects, For-ToR


परियोजना हेतु SEAC की 761 वीं बैठक दिनांक 30.05.2024 को ToR "प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 113 से 116 तक अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- a) गूगल इमेज के अनुसार परियोजना स्थल पर वृक्ष लगे हुए हैं, मौजूद वृक्षों की संख्या, प्रजाति एवं वृक्षों का विवरण प्रस्तुत करें। वृक्षों को काटने की बजाय इनके साथ परियोजना को कैसे पूर्ण किया जावेगा कि परिकल्पना ई.आई.ए के साथ प्रस्तुत करें। साथ ही कार्य स्थल पर यदि वृक्षों को काटा जावेगा तो इससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका भी विवरण ई.आई.ए में प्रस्तुत किया जाये, एवं वृक्षों को ट्रांसप्लांट करने की सर्वोत्तम आधुनिक तकनीकी से कैसे किया जाये कि उनका जीवित रहना संभव हो, इसका भी विवरण भी ई.आई.ए प्रतिवेदन में दिया जाये।
- b) वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट प्रबंधन एवं अतिरिक्त उपचारित अपशिष्ट जल के निष्पादन हेतु नगर निगम भोपाल से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति।
- c) टाउन एंड कंट्री से अनुमति एवं हाई राइज बिल्डिंग निर्माण समिति की अनुशंसा भी प्रस्तुत करे।
- d) प्रस्तावित ग्रीन बेल्ट का क्षेत्रफल एवं प्रजाति सहित पेड़ों की संख्या।
- e) परियोजना क्षेत्र और उसके आसपास की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और परियोजना के डिजाइन और संचालन पर उनके प्रभाव का अध्ययन करें।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण

- f) वर्तमान की आवश्यकता के दृष्टिगत एवं विद्युत वाहनों के उपयोग में वृद्धि को देखते हुए प्रस्तावित स्थल में पर्याप्त संख्या में विद्युत चार्जिंग पोर्ट स्थापित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- g) परियोजना प्रस्तावक परिसर के भीतर यथासंभव अधिक से अधिक सौर ऊर्जा प्रकाश व्यवस्था स्थापित करने के प्रस्ताव का उल्लेख करें।
- h) परियोजना प्रस्तावक ईआईए रिपोर्ट में स्थापित/प्रस्तावित संरचनाओं के विवरण के साथ परिसर में प्राप्त कुल वर्षा जल, वर्षा जल संचयन की संभावना और संचयन की मात्रा के संबंध में गणना प्रस्तुत करें।
- i) भूकंप, आकाशीय बिजली एवं अग्निशमन के खतरों को ध्यान में रखकर परियोजना के अंतर्गत क्या व्यवस्था की जा रही है का विवरण दें।
- j) निर्माण के दौरान खुदाई से निकाली जाने वाली मिट्टी की मात्रा एवं उसके प्रबंधन की क्या योजना है विस्तृत विवरण दें।
- k) प्रस्तावित STP का विवरण एवं उनकी स्थापना कहां की जायेगी एवं STP के बाद निकलने वाले उपचारित पानी की गुणवत्ता (BOD, TSS, Faecal Coliform, T-N, T-P, ऑयल ग्रीस की मात्रा एवं pH) क्या रहेगी और इस उपचारित पानी का क्या उपयोग किया जायेगा विवरण दें।

29. **Case No.- 903/2024.** Prior Environment Clearance for Proposed Expansion of existing synthetic organic chemicals unit, M/s Vini Industries at Plot No 125 AKVN Industrial Estate Meghnagar, District - Jhabua (MP). Product & Capacity – 28,400 TPA. Land Area- 0.4446 Ha., by Shri Alpeshbhai Patel M/s Vini Industries, Plot Number 125, AKVN Industrial Area, Meghnagar. Dist. Jhabua (M.P.) 457779, Cat 5 (f) Synthetic Organic Chemicals Project. SIA/MP/IND3/472344/2024- ToR

परियोजना हेतु SEAC की 761 वीं बैठक दिनांक 30.05.2024 को ToR "प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 113 से 116 तक अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- i. प्रस्तावित इकाई के चारों ओर स्थापित अन्य इकाइयों का विवरण एवं प्रस्तावित इकाई के क्रियाकलापों से इन स्थापित इकाइयों पर पडने वाले प्रभावों का आकलन का भी अध्ययन किया जावे एवं इसके निष्कर्षों की जानकारी पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में प्रस्तुत किये जावे। साथ ही स्थापित इकाइयों पर पडने वाले प्रतिकूल प्रभावों के शमन हेतु शमन योजना भी प्रस्तावित कर प्रस्तुत की जाये।
- ii. प्रस्तावित इकाई से उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट का पूर्ण उपयोग एवं निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु उपायों का उल्लेख पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में करे।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष


का कार्यवाही विवरण

- iii. ग्लोबल वार्मिंग क्षमता और औद्योगिक गतिविधियों से कार्बन फुटप्रिंट और इसकी कमी के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) में प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ चर्चा की जानी चाहिए।
- iv. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO₂ उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप में किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) में चर्चा की जानी चाहिए।
- v. जन सुनवाई करवाकर पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में जनसुनवाई के दौरान प्राप्त मुद्दों का निराकरण प्रस्तुत किया जावे (जनसुनवाई यदि लागू हो)।
- vi. प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र का इंजीनियरिंग लेआउट प्लान पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में शामिल करते हुये यह सुनिश्चित किया जाये कि उसमें प्रस्तावित इकाई के समस्त आयामों के साथ जिसमें इकाईओं का विवरण, ग्रीनबेल्ट क्षेत्र, उपयोगिताओं आदि का विवरण जिसमें इन क्षेत्रों के माप आदि भी हो शामिल किये जावे, औद्योगिक क्षेत्र का लेआउट भी प्रदर्शित किया जाये।
- vii. वैकल्पिक ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस (यदि उपलब्ध हो) का उपयोग किया जाना कैसे सुनिश्चित किया जावेगा पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जावे
- viii. परियोजना स्थल के अंतर्गत स्टॉप डैम, ड्रेन आदि शामिल है अतः इस सन्दर्भ में जल संसाधन विभाग की अनापत्ति एवं सम्बंधित MPPCB/CPCB के निर्देशनुसार उचित उपायों को EIA प्रतिवेदन में शामिल करे।
- ix. यदि परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में अधिसूचित इकोसेंसिटिव जोन के भीतर स्थित है, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मंजूरी का आवेदन जो कि वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है कि प्रति संलग्न करे।
- x. यदि परियोजना स्थल जल निकाय के आसपास है, तो जल निकाय के किनारे से स्थल की ओर 50 मीटर की दूरी को विकास/निर्माण क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यदि यह आर्द्रभूमि के निकट है, तो आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण सम्बंधित प्राधिकरण से प्राप्त किया जावे।

30. **Case No. – P2/902/2024** Prior Environment Clearance for at Plot Number 113, Smart Industrial Park near NATRIP, Pithampur Distt. - Dhar (M.P.) for manufacturing of Framycetin Sulfate (API) : 24 TPA, Total Plot Area - 1.4 Ha., by Shri Jinaraja Poojary, Vice President M/s. M/s Encube Ethicals Private Limited, Plot Number 113, Smart Industrial Park near NATRIP, Pithampur, Distt. - Dhar (M.P.)- 454775. E-mail jinaraja.p@encubeethicals.com Mobile-9167950207 Cat.- 5(f) Synthetic Organic


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Chemicals Project. SIA/MP/IND3/ 472609/2024. TOR Proposal Number:
SIA/MP/IND3/472609/2024

परियोजना हेतु SEAC की 761 वीं बैठक दिनांक 30.05.2024 को ToR "प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 122 से 125 तक अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। अतिरिक्त शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. प्रस्तावित इकाई के चारों ओर स्थापित अन्य इकाइयों का विवरण एवं प्रस्तावित इकाई के क्रियाकलापों से इन स्थापित इकाइयों पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन का भी अध्ययन किया जावे एवं इसके निष्कर्षों की जानकारी पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में प्रस्तुत किये जावे। साथ ही स्थापित इकाइयों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के शमन हेतु शमन योजना भी प्रस्तावित कर प्रस्तुत की जाये।
2. प्रस्तावित इकाई से उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट का पूर्ण उपयोग एवं निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु उपायों का उल्लेख पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में करे।
3. ग्लोबल वार्मिंग क्षमता और औद्योगिक गतिविधियों से कार्बन फुटप्रिंट और इसकी कमी के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) में प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ चर्चा की जानी चाहिए।
4. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO₂ उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप में किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) में चर्चा की जानी चाहिए।
5. जन सुनवाई करवाकर पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में जनसुनवाई के दौरान प्राप्त मुद्दों का निराकरण प्रस्तुत किया जावे (जनसुनवाई यदि लागू हो)।
6. प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र का इंजीनियरिंग लेआउट प्लान पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में शामिल करते हुये यह सुनिश्चित किया जाये कि उसमें प्रस्तावित इकाई के समस्त आयामों के साथ जिसमें इकाईओं का विवरण, ग्रीनबेल्ट क्षेत्र, उपयोगिताओं आदि का विवरण जिसमें इन क्षेत्रों के माप आदि भी हो शामिल किये जावे, औद्योगिक क्षेत्र का लेआउट भी प्रदर्शित किया जाये।
7. वैकल्पिक ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस (यदि उपलब्ध हो) का उपयोग किया जाना कैसे सुनिश्चित किया जावेगा पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जावे
8. परियोजना स्थल के अंतर्गत स्टॉप डैम, ड्रेन आदि शामिल हैं अतः इस सन्दर्भ में जल संसाधन विभाग की अनापत्ति एवं सम्बंधित MPPCB/CPCB के निर्देशानुसार उचित उपायों को EIA प्रतिवेदन में शामिल करे।



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

का कार्यवाही विवरण

9. यदि परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में अधिसूचित इकोसेंसिटिव जोन के भीतर स्थित है, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मंजूरी का आवेदन जो कि वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है कि प्रति संलग्न करे।
10. यदि परियोजना स्थल जल निकाय के आसपास है, तो जल निकाय के किनारे से स्थल की ओर 50 मीटर की दूरी को विकास/निर्माण क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यदि यह आर्द्रभूमि के निकट है, तो आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धित प्राधिकरण से प्राप्त किया जावे।
31. प्रकरण क्र. 10719/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स कालुवाला कंस्ट्रक्शन प्रा.लि., प्रोजेक्ट मैनेजर श्री मंजीत पेटवार, निवासी- 201, द्वितीय तल, इरिस टेक पार्क, सोहना रोड़, सेक्टर 48, जिला गुड़गांव (हरियाणा) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,97,806 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.00 हेक्टेयर (खनन हेतु उपलब्ध क्षेत्र 1.50 है. SEAC द्वारा अनुशंसित), खसरा क्रमांक 01, ग्राम बेनेगांव, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 762 वी बैठक दिनांक 03.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 762वी बैठक दिनांक 03.06.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) तथा SEAC की 762वी बैठक दिनांक 03.06.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बालाघाट का पत्र क्रं 935 दिनांक 09.08.2023 एवं संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा अनुमोदित खनन योजना दिनांक 24.08.2023 अनुसार उक्त लीज 02 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 08.08.2025 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) बालाघाट जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष


- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति अतिरिक्त एजेण्डा –

32. **Case No. 6727/20:** Prior Environment Clearance for Expansion of Sugar Industry from 4500 TCD to 8000 TCD located at Khasra no. 149,151,165 & 168, at Village Bachai, Tehsil –Narsinghpur, District –Narsinghpur, (MP) of M/s Mahakaushal Sugar & Power Ind. Ltd, 149, 151, 165, 168, Village - Bachai, Tehsil –Narsinghpur, District –Narsinghpur (MP) - 487001 email: mahakaushal0@gmail.com
1. महाकौशल शुगर एंड पावर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (MSPIL) का ग्राम बचई, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में 1500 TCD प्लांट स्थापित है।
 2. कंपनी द्वारा परियोजना का विस्तार 2014-2015 में 1500 टीसीडी से 4500 टीसीडी तक विस्तारित किया गया और इस सम्बन्ध में कंपनी को एमपी पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड के पत्र क्रमांक एमपीपीसीबी/जेबीपी दिनांक 21/02/2017 से 4500 टीसीडी संयंत्र के लिए स्थापना की सहमति (सीटीई) प्राप्त हुई। साथ ही सञ्चालन हेतु भी एमपी पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड द्वारा सहमति संख्या. AW 51022 दिनांक 22/01/2020 और नवीनीकृत CTO नंबर AW 54980 दिनांक 09/01/2022 के माध्यम से संचालन की सहमति (सीटीओ) भी प्राप्त हुई।
 3. वर्तमान में कंपनी द्वारा 4500 टीसीडी के मौजूदा प्लांट को 8000 टीसीडी तक विस्तारित किये जाने हेतु प्रस्तावित है।
 4. प्लांट से निकले bagasse का उपयोग प्लांट में हो रही खपत के लिए बिजली का उत्पादन करने और अतिरिक्त पावर होने पर ग्रिड में खाली करा दिया जायेगा। 4500 टीसीडी के लिए मौजूदा बिजली की आवश्यकता 12.8 मेगावाट और जिसे co - generation प्लांट से पूरा किया जाता है। विस्तार के बाद बिजली की आवश्यकता 27.8 होगी मेगावाट जिसका स्रोत भी वही होगा।
 5. ईआईए अधिसूचना 2006 एवं संशोधित के अनुसार शुगर इंडस्ट्री परियोजना के लिए जिसका केन क्रशिंग कैपेसिटी ≥ 5000 टीसीडी है। इस प्रकार क्षमता वाली परियोजना पर्यावरण स्वीकृति हेतु गतिविधि 5(जे), श्रेणी बी के अंतर्गत विचार किया जाता है।
 6. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 753-B वीं दिनांक 18.05.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया, उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 01 से 15 तक अंकित है।

उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) बैठक 859 वीं दिनांक 05.06.2024 में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णीत किया गया :-


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण

- 1) EIA रिपोर्ट में ToR कंप्लायंस का annexure संलग्न नहीं है तथा परियोजना जारी ToR बिंदु क्र 1 और 2 के सम्बन्ध में कोई विवरण भी उल्लेखित नहीं है।
- 2) चूँकि परियोजना एक्सपेंशन का है अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.06.2022 के, अनुसार परियोजना प्रस्तावक को MPPCB द्वारा जारी CTO का सेल्फ सर्टिफाइड कंप्लायंस रिपोर्ट भी EIA के साथ प्रस्तुत किया जाना है।
- 3) जन सुनवाई के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट संबंधित मुद्दे उठाये गए थे उसके लिए परियोजना स्थल पर क्या उपाय किया जा रहे है।
- 4) परियोजना में मौजूदा और प्रस्तावित कार्यों का स्पष्ट ले आउट प्रस्तुत करें।


उपरोक्तानुसार राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त दृष्टिगत स्पष्टीकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ आगामी SEIAA बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होंगे।


उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 10.06.24 के माध्यम से प्राधिकरण के जारी 859 SEIAA बैठक दिनांक 05.06.2024 की मीटिंग कार्यवाही के आधार पर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ जिसे प्राधिकरण ने मान्य करते हुए परियोजना प्रस्तावक श्री दिलशाद जेदी, जी.एम. महाकौशल सुगर को स्पष्टीकरण हेतु प्राधिकरण बैठक में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की गई।


1. EIA रिपोर्ट में ToR – Compliance का Annexure को Email द्वारा भेजा गया है इसकी हार्ड कॉपी अवलोकनार्थ – प्राधिकरण के समक्ष रखा गया जिसे अवलोकन उपरांत प्राधिकरण द्वारा मान्य किया गया।
2. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.06.22 के अनुसार CTO का सेल्फ कंप्लायंस रिपोर्ट भी Email से भेजा गया है उसकी हार्ड कॉपी प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया।
3. जनसुनवाई के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट संबंधित मुद्दे पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि हमारे पास 10 एकड़ का क्रेन यार्ड जो कि काफी बड़ा यार्ड है जिसमें 700 ट्राली खड़ी होने के व्यवस्था है। फ़ैक्टरी मुख्य मार्ग एन.एच – 26 पर नहीं है। एन.एच से 300 मीटर दूर पर फ़ैक्टरी का प्रवेश द्वार है।

ट्रेफिक पर दबाव न आये इसके लिए 8 गन्ना खरीदी केन्द्र भी हैं, जिसमें यातायात व्यवस्था को देखते हुए उन्हें वहीं पर रोक लिया जाता है। किसानों को 200 ट्राले वितरित किये हैं जो कि यातायात व्यवस्था के हिसाब से है। इसके अलावा ट्रैफिक नियंत्रण हेतु सेक्युटरी गार्ड नियुक्त किये गये हैं। जो कि यातायात को सुचारु रूप से चलाते हैं।

4. परियोजना में मौजूद प्रस्तावित कार्यों का एक मानचित्र भी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया। प्राधिकरण द्वारा इस परियोजना के कियान्वयन की स्थिति भी जानकारी में परियोजना


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण**

प्रस्तावक ने सूचित किया कि अभी इस संबंधित कोई कार्य नहीं किया है। एक शेड का निर्माण सल्फर एवं कैल्शियम के रखने हेतु बनाया है जो कि इस का घटक नहीं है। यह वर्तमान कार्यों में उपयोगी हेतु बनाया है, प्राधिकरण द्वारा परियोजना प्रस्तावक को इस संबंध में एक शपथ पत्र लिखकर देने को कहा कि जिसमें यह शपथ हो कि इस परियोजना का कोई कार्य कार्यस्थल पर प्रारम्भ नहीं किया गया है।

5. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है : -

S. No	Particulate	Description		
1.	Proposal No.	SIA/MP/IND2/78697/2020		
2.	Date of submission of application	22.07.2022		
	Case Considered in SEAC meeting for EC	SEAC meeting 598th dated 07/10/22 753rd Meeting dated 18.05.24		
3.	Location of the Project	MSPIL is spread over an area of 35 acre (14.164 ha) of land and lies between latitude 22°52'24.89"N to 22°52'37.69"N and longitude 79°18'19.76"E to 79°49'28.43"E. The plant is located at Village Bachai, District Narsinghpur, Madhya Pradesh.		
4.	Name of the proponent	M/s Mahakaushal Sugar & Power Industries Limited (MSPIL)		
5.	Project capacity	Existing Capacity	Expanded Capacity	
		4500 TCD	8000 TCD	
6.	Location of the project	State	Madhya Pradesh	
		District	Narsinghpur	
		Tehsil	Narsinghpur	
		Village	Bachai	
		Plot No.	149,151,165, 168	
7.	Topography	Flat		
8.	Land Type	Private		
9.	Topo sheet No.	55M/4, 55M/8, 55N/1, 55N/2, 55N/5 & 55N/6		
10.	Category	'B'		
11.	Land Requirement	7 acres to be located within existing plant of 35 acre.		
12.	Product	Sugar & Molasses		
13.	Operation Days	120 Days		
14.	Molasses Required	Existing	Expanded	
		25000 MT/year	44000 MT/year	
15.	Source of Water	Sugar Plant -Water available within Cane @70%. (No fresh water required for the Sugar plant). Power Plant -Recycled water from Sugar plant and existing Bore well.		
16.	Power Requirement (in MW)	Existing Power Requirement	Additional Power Requirement	Total Power Requirement After expansion
		12.8	15	27.8
17.	Source of Electricity	Co-generation Plant		
18.	Turbine generator	Existing Plant	Expanded Plant	
		12.8 MW	27.8 MW	
19.	Steam (exhaust)	70 T/hr.	150 T/Hr.	

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण

20	Fuel Type and Quantity	Cane Bagasse, DG Set Oil	Cane bagasse, DG Set Oil		
21	Boiler	1 (70TPH)	1 (70 TPH)+ 1 (80 TPH)		
22	DG Sets	400 kVA	400 kVA+750 kVA		
23	Effluent treatment System	600 KLD	800 KLD		
24	Man Power	125	150		
25	Waste Generation	From the boilers during bagasse Firing: On- Season Operation Dry Fly ash : 0.148 MT/Hr. Wet bottom ash from Grate : 0.037 MT/Hr.			
		Description	Existing	After Expansion	Mode of Disposal
		Molasses	180 TPD	320 TPD	Shall be sold for manufacture of rectified spirit
		Bagasse	690 TPD	1229 TPD	Shall be used in CPP
		Press Mud	180 TPD	320 TPD	Shall be mixed with boiler ash and sold as manure
		Ash	10.36 TPD	18.43 TPD	
		ETP Sludge	1.44 TPD	2.88 TPD	Shall be sold as manure
		MSW	37.5 kg/day	45 kg/day	Shall be disposed to city MSW Disposal Plant
26	Total Project Cost	Rs.52.00 crore			
27	Area for Green Belt	Existing	Proposed	Total after expansion	
		20234 m ²	12500 m ²	32734 m ²	
28	Nearest Railway Station	Name	Distance	Direction	
		Narsinghpur	13.7 km	SW	
29	Nearest State Highway	SH 22	8.2 km	NE	
30	Nearest Airport	Jabalpur	105 km	W	
Documents submitted by PP					
1.	Consent to Establish (CTE) for the 4500 TCD plant	Submitted			
2.	Consent to Operate (CTO) for the 4500 TCD plant	Submitted			
3.	NOC TO ABSTRACT GROUND WATER	Submitted			
4.	Land documents	Submitted			
5.	DFO letter	No National park, Sanctuary located within 10 km.			
6.	Self certified compliance report as per O.M dtd.	Not submitted			

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण

08.06.22			
----------	--	--	--

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रेमाणित दस्तावेजों एवं शपथ पत्र के आधार पर और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 761 वीं बैठक दिनांक 30.05.2024 की अनुशंसा एवं अधिरोपित विशिष्ट शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु 1 से 6 विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट -1 840वीं बैठक दिनांक 28.03.2024) के साथ परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. परियोजना स्थल पर प्रस्तुत मानचित्रानुसार कार्य किया जावेगा।
 2. ट्रेफिक व्यवस्था दुरुस्त करने हेतु पहुंच मार्ग पर अपने व्यय से पहुंच मार्ग का चौड़ी करण कर फैंक्टरी की जमीन पर अपना पहुंच मार्ग पृथक से बनाया जावे ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु रूप से चले आम जनता को असुविधा न हो।
 3. फैंक्टरी में दुर्गन्ध नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ की जावें।
 4. प्लांट के चारों ओर 3 row में प्लांटेशन किया जावें एवं हरित अच्छादित क्षेत्रफल 33 प्रतिशत से कम न हों।
 5. आम जनता के सुरक्षा के दृष्टिगत प्लांट के चारों ओर बाउंड्री वाल किया का निर्माण किया जावें।
 6. जन सुनवाई में की गई प्रतिबद्धता का क्रियान्वयन सुनिश्चित करे। परियोजना स्थल से 250 m की दूरी पर अगरिया तालाब है, जन सुनवाई के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब के सौंदर्यीकरण हेतु 20 लाख बजट प्रस्तावित किया गया है। इसका अनुपालन करें।
33. प्रकरण क्र. P2/351/2024 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., अधिकृत व्यक्ति श्री जितेन्द्र चंदेल, पता पर्यावास भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, (आपेनकास्ट मैनुअल विधि) उत्पादन क्षमता 21,600 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित) (पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निर्धारित दूरी छोड़ने के उपरांत खनन योग्य हेतु उपलब्ध क्षेत्र के संबंध में संशोधन अनुमोदित खनन योजना अनुसार जो भी उत्पादन क्षमता होगी वह ही मान्य रहेगी।), रकबा 8.70 हेक्टेयर (खनन हेतु क्षेत्र 6.00 हे. SEAC द्वारा अनुशंसित), खसरा 1, 167, 210, ग्राम मालेगांव, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 767वीं बैठक दिनांक 10.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 767वीं बैठक दिनांक 10.06.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 8.70 हे. मे से SEAC द्वारा अनुसंशित खनन योग्य क्षेत्र 6.00 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण

34. प्रकरण क्र. P2/16/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स उर्मिलादेवी चंदन, सीईओ श्री दीनानाथ सिंह, निवासी- 121, इनफिनिटी टॉवर, नारायण ढाबोलकर रोड़, मुम्बई-400006 (म.प्र.) द्वारा ग्रेफाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30019 टन प्रतिवर्ष, रकबा 33.016 हेक्टेयर, खसरा 141, 147, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 149, 150, 151, 154, 924, 929, 930/1, 930/2, 931, 932, 933/1, 933/2, 933/3, 938, 939, ग्राम टीकरी, गौथाना एवं चिकलर, तहसील बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 722वी बैठक दिनांक 15.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित TOR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में 840वी बैठक दिनांक 27.03.2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-


उक्त प्रकरण में श्री राशिद नूर खान, सामाजिक कार्यकर्ता, भोपाल द्वारा निम्नानुसार बिन्दुओं पर शिकायत की गई है :-

- मेसर्स उर्मिला दिलीप चंदन को मिले ब्लॉक से संबंधित वैधानिक कार्यवाही पूरी की जाकर उत्पादन को प्रारंभ किये जाने की अनुबंध के अनुसार निर्धारित समय सीमा समाप्त हो चुकी है।
- मध्यप्रदेश सरकार खनिज साधन विभाग द्वारा समय सीमा वृद्धि मान्य किये जाने का आदेश कम्पनी को नहीं दिया है।
- कंपनी ने ब्लॉक में आने वाली भूस्वामी हक की निजी भूमि के अर्जन से बार बार इनकार कर कलेक्टर बैतूल के समक्ष प्रस्तुत भूअर्जन के प्रस्ताव स्वयं ही वापस ले लिया है।
- ब्लॉक बैतूल नगर पालिका की बाहरी सीमा में लगा हुआ है ग्राम टिकारी का अधिकांश हिस्सा बैतूल नगर पालिका की सीमा में लेकिन इसके बाद भी नगर पालिका परिषद बैतूल से किसी तरह की अनापत्ति प्राप्त नहीं की।
- ग्राम पंचायत के द्वारा दिया गया प्रस्ताव में काटा पिटी की गयी है जिसकी पुष्टि ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित बताए गए सदस्यों से पृथक पृथक की जाना आवश्यक है।
- ब्लॉक में आने वाली वन भूमि में मेसर्स उर्मिला दिलीप चंदन को आवंटित नहीं की गई है, वन भूमि के बदल वैकल्पिक वन भूमि का भी विवाद है वह भी वन विभाग को आवंटित नहीं हुई है।


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि उक्त शिकायत की प्रति कलेक्टर, जिला बैतूल को भेजते हुए शिकायत में उल्लेखित बिन्दुओं के दृष्टिगत स्थल निरीक्षण उपरांत वास्तविक स्थिति के संबंध में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये। तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र की प्रति संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को प्रेषित की जाये।

प्राधिकरण द्वारा उक्त निर्णय के परिपालन में कलेक्टर जिला बैतूल को पत्र क्र. 89 दिनांक 12.04.2024 एवं स्मरण पत्र क्र. 183 दिनांक 30.04.2024 के माध्यम से उपरोक्त शिकायत में उल्लेखित बिन्दुओं के संबंध में स्पष्ट अभिमत चाहा गया था जो कि आज दिनांक तक अपेक्षित है।

उपरोक्तानुसार प्रकरण में जिला कलेक्टर बैतूल को स्मरण पत्र प्रेषित किये जाने के उपरांत भी कोई भी अभिमत प्राप्त न होने की दशा में प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 863-B बैठक दिनांक 10.06.2024
का कार्यवाही विवरण

लिया गया उपरोक्त शिकायत में उल्लेखित तथ्यों एवं खनिज साधन विभाग द्वारा जारी Letter of Intent पत्र क्र. एफ-3-31/2018/12/1 दिनांक 20.06.2018 की वैधता समाप्त हो चुकी है। अतः खनिज साधन विभाग द्वारा जारी Letter of Intent पत्र क्र. एफ-3-31/2018/12/1 दिनांक 20.06.2018 को संज्ञान में लेते हुए प्रकरण को निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष